
INDIAN POLITY

भारतीय राजव्यवस्था

Preface:

भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य की जटिल पृष्ठभूमि में, राजनीति और शासन के धागे हमारे राष्ट्र की पहचान के ताने-बाने में बुने गए हैं। पुस्तक "भारतीय राजनीति और शासन" एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में उभरती है, जिसे दूरदर्शी कार्यक्रम "बने भारत भाग्य निर्माण" के तहत अनुसंधान और विश्लेषण विंग द्वारा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। सावधानी पूर्वक तैयार की गई, यह पुस्तक केवल एक संकलन नहीं है; यह भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों के दिल में एक गहन अन्वेषण है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की परिवर्तनकारी भावना और एनसीईआरटी के शैक्षिक ज्ञान के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।

जैसे-जैसे हमारा राष्ट्र विकसित हो रहा है, वैसे-वैसे संविधान को जानो, भारत को पहचानो के माध्यम से संविधान के सार को समझने की आकांक्षा भी बढ़ रही है। यह पुस्तक उस आकांक्षा को गले लगाती है, संवैधानिक आधार से लेकर शासन तंत्र के कार्यात्मक मोड़ों तक, भारत की राजनीतिक पेचीदगियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह यात्रा शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है; यह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, चाहे वह सरकार के गलियारे हों या गतिशील कॉर्पोरेट क्षेत्र।

एनईपी 2020 के दूरदर्शी लक्ष्यों और एनसीईआरटी के शैक्षणिक सिद्धांतों का सम्मेलन एक कम्पास बनाता है जो शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करता है। पुस्तक एनईपी 2020 के पहलुओं का खुलासा करती है: समग्र शैक्षिक सुधार, प्रौद्योगिकी का समावेश, स्वदेशी ज्ञान की मान्यता, और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देना। इस तरह के संरेखण में न केवल एक सुधारित शिक्षा की कल्पना की गई है, बल्कि शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले जागरूक नागरिकों के लिए एक पोषण आधार भी है।

"भारतीय राजनीति और शासन" "बने भारत भाग्य निर्माण" की भावना को प्रतिध्वनित करता है, जो पाठकों को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में गोता लगाने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारे संविधान के निर्माताओं, शिक्षकों और उम्मीदवारों की आत्माओं से ओत-प्रोत है। महज एक किताब के पन्नों में भारत की नियति के निर्माता बनने की यात्रा शुरू हो जाती है।

kothari publication llp

सर्वाधिकार सुरक्षित। यह प्रकाशन और इसकी सामग्री कॉपीराइट कानून द्वारा संरक्षित है। इस पुस्तक के किसी भी भाग को प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल तरीके शामिल हैं, पुनरुत्पादित, वितरित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है, सिवाय (संक्षिप्त उद्धरणों के मामले में एवं आलोचनात्मक समीक्षाओं और कॉपीराइट कानून द्वारा अनुमत कुछ अन्य गैर-व्यावसायिक उपयोगों में)

अनुमति अनुरोधों के लिए, कोठारी प्रकाशन एलएलपी, इंदौर से संपर्क करें।

इस प्रकाशन की सामग्री की अनधिकृत प्रतिलिपि या वितरण निषिद्ध है और इसके परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रकाशक और लेखक ने इस पुस्तक में सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन वे सामग्री की सटीकता या पूर्णता, या इसके आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।

पूछताछ और जानकारी के लिए संपर्क करें:

कोठारी पब्लिकेशन एलएलपी इंदौर

भारतीय राजनीति और शासन**अनुक्रमणिका**

क्र.सं	अध्याय	पृष्ठ सं
1.	भारतीय संविधान का विकास	3- 6
2.	संविधान का दर्शन	7-16
3	प्रस्तावना - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	17-20
4.	वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा	21-22
5.	मौलिक अधिकार	23-33
6.	डीपीएसपी - संवैधानिक प्रावधान और इसका वर्गीकरण	34-39
7.	मौलिक कर्तव्य	40-44
8.	संघ विधायी संसद	45-49
9.	सुशासन-अवधारणा	50-54
10	स्मार्ट सरकार	55-57
11	निगम से संबंधित शासन प्रणाली	58-61
	ई-शासन	62-78

NEP -2020 के नए पैटर्न के अनुसार - अभ्यास प्रश्न - पेज – 79 -91

1. लघु उत्तरीय प्रकार

2. अभिकथन -कारण प्रश्न

3.आलोचनात्मक सोच-आधारित प्रश्न

4. बहुविकल्पीय प्रश्न

5.केस स्टडी आधारित प्रश्न

1**EVOLUTION OF INDIAN CONSTITUTION****भारतीय संविधान का विकास**

भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एमएन रॉय ने 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया।

- 1935 में पहली बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की।
- कांग्रेस की ओर से, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में घोषणा की कि "स्वतंत्र भारत का संविधान, बाहरी हस्तक्षेप के बिना, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए।"
- ब्रिटिश सरकार अंततः सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई जिसे 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के रूप में जाना जाता है।
- सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स, एक कैबिनेट सदस्य, ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ 1942 में भारत का दौरा किया।
- मुस्लिम लीग, जो भारत को अलग-अलग संविधान सभाओं के साथ दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित करना चाहती थी, ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया।
- अंत में, एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया।
- हालाँकि इसने दो संविधान सभाओं के विचार को स्वीकार कर दिया, इसने संविधान सभा के लिए एक ऐसी योजना का प्रस्ताव रखा जो मुस्लिम लीग को सबसे अधिक स्वीकार्य थी। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया
- भारतीय संविधान का निर्माण मुख्यतः दो चरणों में विभाजित था: 1858 से 1935 और 1946 से 1949।
- ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण के साथ शासन के विभिन्न तत्वों की शुरुआत की।
- इनमें शासन संस्थानों में भारतीय प्रतिनिधित्व के तत्व भी शामिल थे।
- अंग्रेजों ने उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करने के बजाय अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए पेश किया।
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधार और 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार के माध्यम से शुरू किए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान का विरोध कर रहे थे।
- गांधीजी के उपवास के परिणामस्वरूप पूना समझौता हुआ, जिसने अलग निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया और प्रांतीय विधायिका में गरीबों को आरक्षण दिया।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देने के बाद, अंग्रेजों ने अनिच्छा से भारतीयों के लिए भारत की संविधान सभा की स्थापना की तात्कालिकता को मान्यता दी।
 - यह द्वितीय विश्व युद्ध और सरकार परिवर्तन के बाद ब्रिटेन में बदली हुई राजनीतिक स्थिति के कारण भी था।
- संविधान सभा, जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के जवाब में किया गया था, को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रतिबंधित वयस्क मताधिकार का उपयोग करके चुना गया था।
- समाज के सबसे विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों द्वारा चुने जाने के बावजूद; संविधान सभा ने विभिन्न प्रकार की राय और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व किया। यह भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों का भी प्रतिनिधित्व करता था।
- किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले संविधान सभा उस पर गहन बहस करती थी।
- संविधान सभा की विभिन्न उप-समितियों के निर्णयों और सिफारिशों को अंततः भारतीय संविधान में शामिल किया गया।
- भारतीय संविधान एक दस्तावेज है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- संविधान उदार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता सिद्धांतों के साथ-साथ सामाजिक लोकतंत्र के कुछ तत्वों का प्रतीक है।
- यह व्यक्तियों और समुदायों के सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

भारतीय संविधान का निर्माण

- भारतीय संविधान का मसौदा 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था।
- सभा 389 सदस्यों से बनी थी जो प्रांतों (292), राज्यों (93) और मुख्य आयुक्त प्रांतों (3) के साथ-साथ बलूचिस्तान (1) का प्रतिनिधित्व करते थे।
- 9 दिसंबर, 1946 को विधानसभा की पहली बैठक हुई और विधानसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अनंतिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
- 11 दिसंबर, 1946 को विधानसभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना।
- देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों की वापसी के बाद, विधानसभा की ताकत घटकर 299 हो गई (229 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 70 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे)।
- संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए 13 समितियों की स्थापना की।
- इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय मसौदा समिति द्वारा एक मसौदा संविधान तैयार किया गया था।
- संविधान का मसौदा जनवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था और जनता के पास इस पर चर्चा करने और संशोधन प्रस्तावित करने के लिए आठ महीने का समय था।

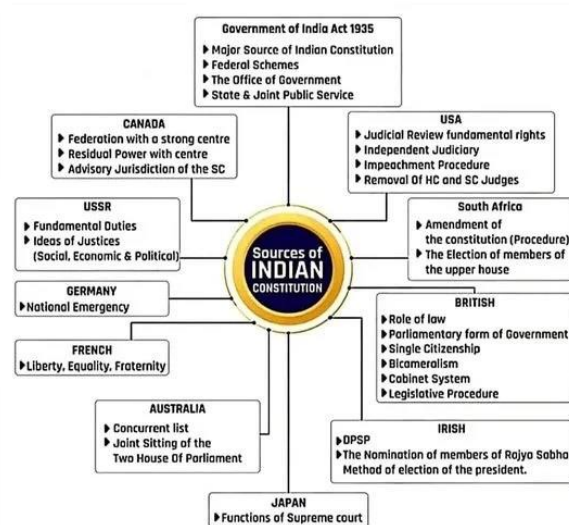
भारतीय राजव्यवस्था

- लोगों, प्रेस, प्रांतीय विधानसभाओं और संविधान सभा द्वारा मसौदे पर चर्चा के बाद, इसे अंततः 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया और विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।
- भारत का संविधान कोई मूल दस्तावेज नहीं था बल्कि इसमें अन्य संविधानों से अच्छी विशेषताएं उधार ली गई थीं।
- संविधान निर्माताओं ने इन विशेषताओं को अपनाते हुए इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किये और उनकी स्वामियों से बचा लिया।
- यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और कनाडा सहित अन्य देशों के संविधानों का भारतीय संविधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

संविधान के उद्देश्य

संविधान के उद्देश्यों को वस्तुनिष्ठ संकल्प में रेखांकित किया गया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संकल्प के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार थे:

- भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का संकल्प।
- सभी घटक भागों के लिए समान स्वशासन वाला एक लोकतांत्रिक संघ बनाना।
- जनता संघ सरकार और घटक भागों की सरकारों को उनकी सारी शक्ति और अधिकार देती है।



- सभी भारतीयों को गारंटी और सुरक्षा प्रदान करना। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
 - स्थिति, अवसर और कानून के समक्ष समानता की समानता
 - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय संघ और कार्रवाई की स्वतंत्रता।
- पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों, साथ ही गरीबों और अन्य वंचित समूहों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय।
- सभ्य राष्ट्रों के न्याय और कानून के अनुसार गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर संप्रभु अधिकारों को बनाए रखना।
- विश्व में भारत का उचित एवं सम्मानित स्थान सुनिश्चित करना।
- विश्व शांति की उन्नति और मानवता की भलाई में योगदान देना।

भारतीय संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण

- भारतीय संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था, जिसका अर्थ है कि इसे उसी दिन संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।
- हालाँकि, इसे अपनाने के दो महीने बाद, 26 जनवरी, 1950 को यह प्रभावी हुआ, जिसे इसकी "शुरुआत" की तारीख के रूप में भी जाना जाता है।

- हालाँकि, इसके कुछ प्रावधान, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, एक अनंतिम संसद और अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, 26 नवंबर, 1949 को प्रभावी हुए।
- इसे अपनाने के दो महीने बाद इसे शुरू करने का कारण 26 जनवरी को स्वतंत्रता की मूल तिथि के रूप में मनाना था।
- आज ही के दिन, 26 जनवरी, 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने पहली बार भारत के स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान एक लंबी प्रक्रिया और विचार-विमर्श का परिणाम है।

निष्कर्ष

आज हमारे पास जो संविधान है, वह कुछ व्यक्तियों के अव्यवस्थित, सामयिक प्रयासों का परिणाम नहीं है। वास्तव में, यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान लोगों के एक समूह द्वारा तैयार और निर्मित किया गया था, जो स्वतंत्र भारत के निर्माण के स्पष्ट उद्देश्य के लिए विशेष रूप से इकट्ठे और बुलाए गए थे।

2.**PHILOSOPHY OF INDIAN CONSTITUTION****संविधान का दर्शन**

संविधान एक दस्तावेज है जिसमें न केवल कानून बल्कि नैतिक मूल्य भी शामिल हैं। इसे केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है और इसे दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से पूरक करने की आवश्यकता है।

हम भारतीय संविधान के दर्शन को कैसे समझ सकते हैं?

एक दस्तावेज के रूप में संविधान नैतिक सिद्धांतों के एक समूह पर आधारित है। संविधान के सार को समझने के लिए, हमें राजनीतिक दर्शन परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने की आवश्यकता है।

जब संविधान के दर्शन की बात आती है तो तीन बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए।

1. वैचारिक संरचना

हमें संविधान की वैचारिक संरचना को समझने की जरूरत है। संविधान में प्रयुक्त शब्दों जैसे 'नागरिकता, अल्पसंख्यक या लोकतंत्र' का उचित ज्ञान होना चाहिए।

2. समाज एवं राजव्यवस्था का सुसंगत दृष्टिकोण

संविधान की प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या के आधार पर समाज और राजनीति की एक सुसंगत दृष्टि पर काम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमें संविधान में निहित विचारों की बेहतर समझ होनी चाहिए।

3. संविधान सभा की बहसों के साथ संयोजन में पढ़ें

भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए ताकि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों के औचित्य को परिष्कृत किया जा सके और एक उच्च सैद्धांतिक स्तर तक पहुंचाया जा सके।

किसी मूल्य का दार्शनिक उपचार अधूरा है यदि इसके लिए विस्तृत औचित्य प्रदान नहीं किया गया है। जब संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज और राजनीति को मूल्यों के एक समूह द्वारा निर्देशित करने का निर्णय लिया, तो उसके अनुरूप कारण भी रहे होंगे। हालाँकि, उनमें से कई को पूरी तरह से समझाया नहीं जा सका है।

दार्शनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है?

संविधान के प्रति एक राजनीतिक दर्शन दृष्टिकोण न केवल इसमें व्यक्त नैतिक सामग्री का मूल्यांकन करने और इसके दावों की जांच करने के लिए आवश्यक है, बल्कि इसका उपयोग हमारी राजनीति के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर असहमति को हल करने के लिए भी किया जा सकता है।

इन राजनीतिक अवधारणाओं की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जाती है, और अल्पकालिक राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी-कभी इन्हें जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। परिणामस्वरूप, हमें यह आकलन करना चाहिए कि क्या संवैधानिक आदर्श और अन्य क्षेत्रों में इसकी अभिव्यक्ति असंगत हैं।

DIVERSITY & MINORITY RIGHTS

The constitution of India encourages equal respect between communities. It became mandatory for the constitution to recognize the minority rights.

- Right to religious communities to establish educational institutions is one such rights given by our constitution.
- Mutual Exclusion is practiced, both state and religious communities must not intervene in the mutual internal affairs.
- The Constitution of India also grant right to freedom of religion to all the individual & communities.



कौन सा संविधान 'शांति संविधान' के नाम से प्रसिद्ध है और क्यों?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में तैयार और अपनाया गया जापान का संविधान लोकप्रिय रूप से 'शांति संविधान' के नाम से जाना जाता है।

जापानी संविधान का दर्शन शांति के आदर्श पर आधारित है। ये आदर्श संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 9 में परिलक्षित होते हैं। यह कहा जा सकता है कि ये मूल्य युद्ध के अनुभव के बाद संविधान निर्माताओं की सोच पर हावी रहे।

भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक परिवर्तन का साधन क्यों माना जाता है?

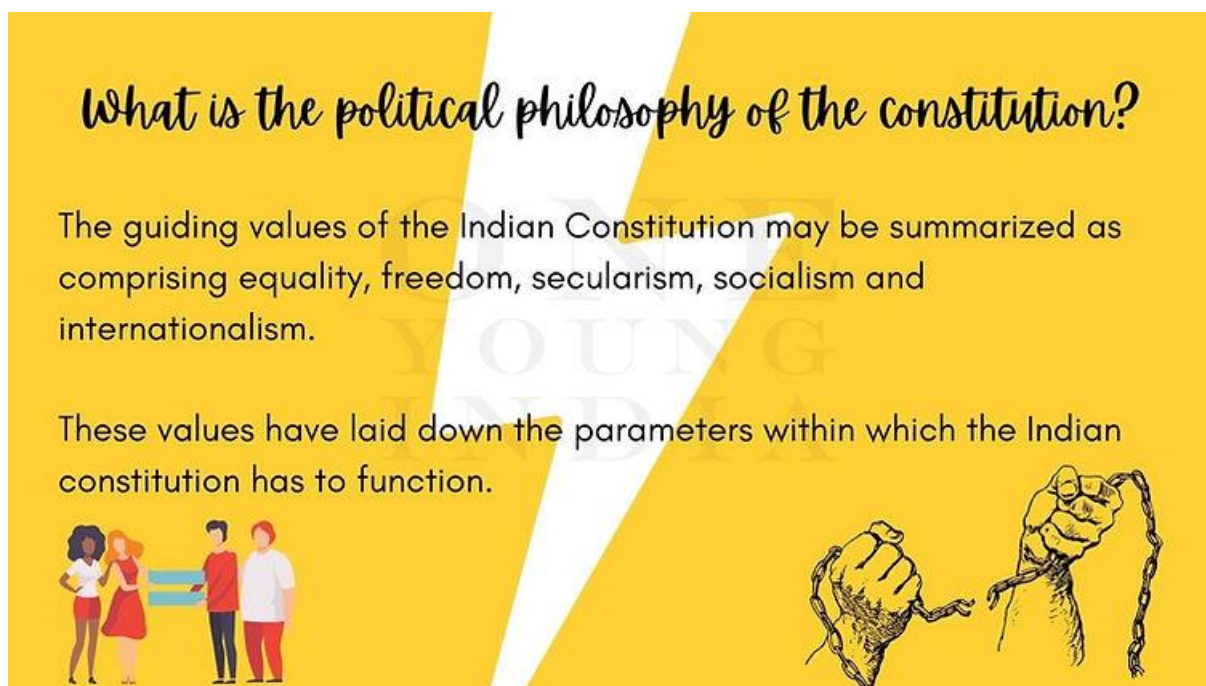
संविधान बनाने के लिए सबसे अधिक स्वीकृत कारणों में से एक राज्य की अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता को सीमित करना है। नियमों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि राज्यों की निरंकुश प्रवृत्तियों पर लगातार नियंत्रण रखा जा सके। परिणामस्वरूप, संविधान राज्यों को ऐसी ज्यादातियों में शामिल होने से रोकने के लिए बुनियादी मानदंड स्थापित करता है। संविधान शांति परिवर्तन लाने के लिए लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है।

भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक साधन माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है। इसके अलावा, इसने राजनीतिक आत्मनिर्णय के पहले वास्तविक अभ्यास की घोषणा की और उसे मूर्त रूप दिया।

भारतीय संविधान को पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम की बेड़ियों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस प्रकार, भारतीय संविधान न केवल सत्ता में लोगों को सीमित करने के लिए मौजूद है, बल्कि उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी है जो परंपरागत रूप से इससे वंचित रहे हैं। संविधान कमजोर लोगों को सामूहिक भलाई हासिल करने की शक्ति दे सकता है।

हमें संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? राजनीति के छात्रों को संविधान की स्थापना करने वालों के लक्ष्यों और विंताओं को समझना चाहिए, जैसे कानूनी इतिहासकारों को समय में कानूनी और राजनीतिक सिद्धांतों की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए। संविधान सभा का अध्ययन भारतीय सन्दर्भ में प्रासंगिक क्यों है, अमेरिकी सन्दर्भ में क्यों नहीं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में, 18वीं और 21वीं सदी के बीच लक्ष्य और मानक काफी बदल गए हैं, और संविधान के निर्माण का अध्ययन राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है।

हालाँकि, भारत में, मूल निर्माताओं की दुनिया और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसमें शायद उतना नाटकीय बदलाव नहीं आया है। भारतीय संविधान की रूपरेखा को समझने से वर्तमान संवैधानिक अभ्यास के साथ-साथ उनके महत्व और उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है।



भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है?

भारतीय संविधान के दर्शन को एक शब्द में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह किसी भी एकल लेबल का विरोध करता है क्योंकि यह उदार, लोकतांत्रिक, समतावादी, धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, सामुदायिक मूल्यों के लिए खुला है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ-साथ ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, और एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संक्षेप में, यह स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और कुछ प्रकार की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इन सबके नीचे, इस दर्शन को व्यवहार में लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक उपायों पर स्पष्ट जोर दिया गया है।

निम्नलिखित भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता

संविधान के बारे में ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है। यह एक शताब्दी से भी अधिक समय की सतत बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधि का परिणाम था।

प्रेस की स्वतंत्रता

राम मोहन राय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती का विरोध किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्र प्रेस की मांग करते रहे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है।

मनमाने विरोध से मुक्ति

कुख्यात रौलट एक्ट, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन ने जोरदार विरोध किया, ने इस बुनियादी स्वतंत्रता को नकारने की कोशिश की।

व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, जैसे अंतरात्मा की स्वतंत्रता, उदारवादी विचारधारा का हिस्सा हैं। इस आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय संविधान काफी उदार है।

2. सामाजिक न्याय

शास्त्रीय उदारवाद हमेशा सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है।

भारतीय संविधान की उदारता इस संस्करण से दो मायनों में भिन्न है:

- सबसे पहले, यह हमेशा सामाजिक न्याय से जुड़ा था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि केवल समानता का अधिकार देना इन समूहों द्वारा सहे गए सदियों पुराने अन्याय को दूर करने या वोट देने के उनके अधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की आवश्यकता थी।
- दूसरा, संविधान ने सरकार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को इन समूहों के लिए आरक्षित करना भी संभव बना दिया। संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कई विशेष उपाय भी प्रदान किए जैसे कि विधायिका में सीटों का आरक्षण।



FREEDOM OF RELIGION

"All persons have an equal right to freedom of conscience and the right to freely profess, practise, and propagate religion subject to public order, morality, and health," according to Article 25.

Furthermore, Article 26 states that all religious denominations are free to manage their own affairs.



3. विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान

भारतीय संविधान समुदायों के बीच समान सम्मान को प्रोत्साहित करता है। हमारे देश में यह आसान नहीं था क्योंकि:

- पहला, समुदायों में हमेशा समानता का रिश्ता नहीं होता है; वे एक-दूसरे के साथ पदानुक्रमित संबंध रखते हैं (जैसा कि जाति के मामले में)।
- दूसरा, जब ये समुदाय एक-दूसरे को समान रूप से देखते हैं, तो वे प्रतिद्वंद्वी भी बन जाते हैं (जैसा कि धार्मिक समुदायों के मामले में होता है)। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि कोई भी समुदाय व्यवस्थित रूप से दूसरे पर हावी न हो। इसने हमारे संविधान के लिए समुदाय-आधारित अधिकारों को मान्यता देना अनिवार्य बना दिया। ऐसा ही एक अधिकार धार्मिक समुदायों का अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। ऐसे संस्थानों को सरकार से धन प्राप्त हो सकता है। यह प्रावधान दर्शाता है कि भारतीय संविधान धर्म को केवल व्यक्ति से संबंधित निजी मामले के रूप में नहीं देखता है।

4. धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्ष राज्यों को व्यापक रूप से धर्म को केवल एक निजी मामला मानने के रूप में देखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे धर्म को सार्वजनिक या आधिकारिक मान्यता देने से इनकार करते हैं। यह धर्मनिरपेक्षता की मुख्यधारा की पश्चिमी अवधारणा है और इसका अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों जैसे मूल्यों की रक्षा के लिए राज्य और धर्म का पारस्परिक बहिष्कार। **'पारस्परिक बहिष्करण' शब्द का क्या अर्थ है?** 'पारस्परिक बहिष्कार' शब्द का अर्थ है कि: धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे के आंतरिक पारस्परिक मामलों से दूर रहना चाहिए। राज्य को धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; इसी तरह धर्म को राज्य की नीति निर्धारित नहीं करनी चाहिए या राज्य के आचरण को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, पारस्परिक बहिष्कार का अर्थ है कि धर्म और राज्य को सख्ती से अलग किया जाना चाहिए। इसलिए, व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, राज्य को धार्मिक संगठनों की मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ ही, राज्य को धार्मिक संगठनों को यह नहीं बताना चाहिए कि वे अपने मामलों का प्रबंधन कैसे करें।

यह सख्त अलगाव व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद करता है। जो राज्य संगठित धर्मों को समर्थन देते हैं वे उन्हें पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाते हैं।

भारत में धर्मनिरपेक्षता

प्रारंभ में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था; भारतीय संविधान सदैव धर्मनिरपेक्ष रहा है। संविधान निर्माताओं को धर्मनिरपेक्षता की एक वैकल्पिक अवधारणा पर काम करना था। वे पश्चिमी मॉडल से दो तरह से और दो अलग-अलग कारणों से अलग हुए।

i) धार्मिक समूहों के अधिकार

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने महसूस किया कि अंतर-सामुदायिक समानता उतनी ही आवश्यक है जितनी व्यक्तियों के बीच समानता। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान की भावना सीधे तौर पर उसके समुदाय की स्थिति पर निर्भर करती थी, जिससे नागरिकों को सम्मान, आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता के साथ चलने की अनुमति मिलती थी।

भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तियों और समुदायों दोनों के धर्म की स्वतंत्रता है।

ii) राज्य की हस्तक्षेप की शक्ति

भारत में धर्म के पृथक्करण का अर्थ 'आपसी बहिष्कार नहीं बल्कि सैद्धांतिक दूरी' है।

यह आवश्यक था क्योंकि अस्पृश्यता जैसे धार्मिक रूप से स्वीकृत रीति-रिवाज व्यक्तियों को सबसे बुनियादी गरिमा और आत्म-सम्मान से वंचित करते थे और इस कारण से, राज्य को बस धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता था। हालाँकि यह हस्तक्षेप नकारात्मक नहीं है। यह राज्य को सभी धर्मों से दूर रहने की अनुमति देता है ताकि वह हस्तक्षेप कर सके या हस्तक्षेप से दूर रह सके, यह इस पर निर्भर करता है कि इन दोनों में से कौन सा स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को बेहतर बढ़ावा देगा। राज्य धार्मिक समुदायों को उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देकर भी मदद कर सकता है। राज्य धार्मिक समुदायों की मदद या बाधा डाल सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि कार्रवाई का कौन सा मॉडल स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है।

5. सार्वभौम वयस्क मताधिकार

स्थिर पश्चिमी लोकतंत्रों में, वोट देने का अधिकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल महिलाओं और श्रमिक वर्ग तक ही बढ़ाया गया है।

स्थिर पश्चिमी लोकतंत्रों में, वोट देने का अधिकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल महिलाओं और श्रमिक वर्ग तक ही बढ़ाया गया है। दूसरी ओर, भारतीय राष्ट्रवाद ने हमेशा समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की है। सार्वभौमिक मताधिकार की अवधारणा राष्ट्रवाद के हृदय में दृढ़ता से अंतर्निहित थी। निम्नलिखित दृष्टिकोण इसकी पुष्टि कर सकते हैं:

भारत के संविधान विधेयक (1895) के लेखक - भारत के लिए संविधान बनाने का पहला गैर-आधिकारिक प्रयास, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को देश के मामलों में भाग लेने और सार्वजनिक कार्यालय में भर्ती होने का अधिकार है।

मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट (1928) नागरिकता के इस दृष्टिकोण को पुष्ट करती है, जिसमें कहा गया है कि इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का हर व्यक्ति, लिंग की परवाह किए बिना, प्रतिनिधि सभा या संसद में मतदान करने के लिए पात्र है।

6. संघवाद

भारतीय संविधान में असममित संघवाद की आवश्यक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति के बावजूद, एक ही संघ के भीतर विभिन्न उप-इकाइयों की कानूनी स्थिति और विशेषाधिकारों में महत्वपूर्ण संवैधानिक रूप से अंतर्निहित असमानताएं हैं।

राजनीतिक रूप से, प्रत्येक प्रमुख भाषाई समूह को मान्यता दी जाती है, और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। परिणामस्वरूप, भारत का लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद एकता और सांस्कृतिक स्वीकार्यता के आह्वान में सामंजस्य बिठाने में सक्षम रहा है। वहाँ एक बहुत मजबूत राजनीतिक क्षेत्र है जो कई पहचानों को परस्पर क्रिया करने की अनुमति देता है जो एक दूसरे के पूरक हैं।

भारतीय संविधान के संघवादी पहलू को निम्नलिखित उदाहरण में दिखाया जा सकता है:

उत्तर-पूर्वी राज्य नागालैंड को संविधान के अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। यह लेख न केवल नागालैंड में पहले से मौजूद कानूनों को कानूनी बल देता है, बल्कि यह आव्रजन सीमाओं के माध्यम से मूल पहचान की सुरक्षा भी करता है।

7. राष्ट्रीय पहचान

हमारा संविधान नियमित आधार पर साझा राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान ने इन अनेक पहचानों को संतुलित करने का प्रयास किया, यह मानते हुए कि एक साझा राष्ट्रीय पहचान विशिष्ट धार्मिक या भाषाई पहचान के साथ असंगत नहीं थी।

भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों को अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए नहीं कि उन्होंने धार्मिक मतभेद पैदा किए या इसलिए कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता की बुनियादी भावना को खतरे में डाल दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन को खतरे में डाल दिया।

एकता थोपने के बजाय, हमारे संविधान का उद्देश्य सच्चे भाईचारे को बढ़ावा देना था, जो डॉ. अम्बेडकर के हृदय को प्रिय लक्ष्य था। जैसा कि सरदार पटेल ने व्यक्त किया था, आवश्यक लक्ष्य "एक समुदाय" बनाना था।

CRITICISM ON THE INDIAN CONSTITUTION

The critics have criticised the Constituent Assembly on various grounds.

- **Not a representative body:** The members were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise.
- **Hindu Dominant:** The Constituent Assembly was a Hindu dominated body. Lord Viscount Simon called it 'a body of Hindus'.
- **Dominated by Congress:** The Constituent Assembly was dominated by Congress as it was the largest party and had Government in the majority of provinces

भारतीय संविधान की कुछ प्रक्रियात्मक उपलब्धियाँ क्या हैं?

1. उदारवादी व्यक्तिवाद को पुनः स्थापित करना

हमारा संविधान उदारवादी व्यक्तिवाद के रूपों को सुदृढ़ और पुनर्निर्मित करता है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह ऐसे समाज की पृष्ठभूमि में किया गया है जहाँ सामुदायिक मूल्य अक्सर व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति उदासीन या शत्रुतापूर्ण होते हैं।

2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सामाजिक न्याय को कायम रखता है

हमारा संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कायम रखता है। जाति-आधारित सकारात्मक कार्यवाई कार्यक्रमों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता दर्शाती है कि भारत अन्य देशों की तुलना में कितना आगे था।

3. समूह अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता

हमारा संविधान समूह अधिकारों (सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखता है। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे, जिन्हें चार दशक से भी अधिक समय बाद बहुसंस्कृतिवाद के रूप में जाना जाता है।

4. समावेशी दृष्टिकोण - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

भारतीय संविधान राजनीतिक विचार-विमर्श में विश्वास को दर्शाता है। हम जानते हैं कि संविधान सभा में कई समूहों और हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन विधानसभा में हुई बहसें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि संविधान के निर्माता अपने दृष्टिकोण में यथासंभव समावेशी होना चाहते थे।

यह खुला दृष्टिकोण लोगों की अपनी मौजूदा प्राथमिकताओं को संशोधित करने की इच्छा को इंगित करता है, संक्षेप में, स्व-हित के संदर्भ में नहीं बल्कि कारणों के आधार पर परिणामों को उचित ठहराने के लिए। यह मतभेद और असहमति में रचनात्मक मूल्य को पहचानने की इच्छा भी दर्शाता है।

यह समझौता और समायोजन की भावना को दर्शाता है। समझौता और समायोजन, इन शब्दों को हमेशा अस्वीकृति की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। सभी समझौते बुरे नहीं होते। भारतीय संविधान की कुछ आलोचनाएँ क्या हैं?

1. भारत का संविधान विशाल है

पहली आलोचना इस धारणा पर आधारित है कि किसी देश का संपूर्ण संविधान एक संक्षिप्त दस्तावेज़ में पाया जाना चाहिए।

भारत के मामले में, कई विवरण, प्रथाएँ और कथन एक ही दस्तावेज़ में शामिल होते हैं और इससे वह दस्तावेज़ आकार में कुछ हद तक बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए, कई देशों में संविधान नामक दस्तावेज़ में चुनाव आयोग या सिविल सेवा आयोग के लिए प्रावधान नहीं हैं। लेकिन भारत में, ऐसे कई मामलों को संवैधानिक दस्तावेज़ द्वारा ही निपटाया जाता है।

2. भारतीय संविधान अप्रतिनिधित्वात्मक है

संविधान की दूसरी आलोचना यह है कि यह अप्रतिनिधित्वात्मक है। यहां हमें प्रतिनिधित्व के दो घटकों को अलग करना होगा, एक जिसे आवाज कहा जा सकता है और दूसरा राय।

प्रतिनिधित्व का ध्वनि घटक महत्वपूर्ण है। लोगों को उनकी अपनी भाषा या आवाज़ से पहचाना जाना चाहिए, न कि उस्तादों की भाषा से। भारतीय संविधान वास्तव में गैर-प्रतिनिधित्वात्मक है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नहीं, बल्कि एक प्रतिबंधित मताधिकार द्वारा चुना गया था।

हालाँकि, यदि हम दूसरे आयाम की जाँच करें, तो हमें यह नहीं लगेगा कि इसमें प्रतिनिधित्वशीलता की पूरी तरह कमी है। यह दावा कि संविधान सभा में लगभग हर प्रकार की राय का प्रतिनिधित्व किया गया था, थोड़ा अतिरंजित हो सकता है लेकिन इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है।

यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ते हैं, तो उल्लिखित मुद्दों और विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है, सदस्यों ने न केवल अपनी व्यक्तिगत सामाजिक चिंताओं के आधार पर बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के कथित हितों और चिंताओं के आधार पर मामले उठाए।

3. भारतीय संविधान अत्यंत उधार लिया हुआ है और इसलिए विदेशी है

एक अंतिम आलोचना में आरोप लगाया गया है कि भारतीय संविधान पूरी तरह से एक विदेशी दस्तावेज़ है, जो पश्चिमी संविधानों से लेख दर लेख उधार लिया गया है और भारतीय लोगों के सांस्कृतिक लोकाचार के साथ असहज रूप से बैठता है।

यह आलोचना अक्सर कई लोगों द्वारा की जाती है, यहां तक कि 'संविधान सभा' में भी, कुछ आवाज़ें थीं जिन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया। भारतीय संविधान उधार न लेकर चयनात्मक अनुकूलन कैसे है?

आधुनिक सोच को अपनाना

भारतीयों ने सोचने के आधुनिक तरीकों को न केवल अपनाया बल्कि अपना बनाया भी। पश्चिमीकरण भारतीयों के लिए अपनी संस्कृति में गंदगी के खिलाफ विरोध का एक रूप बन गया।

राममोहन राय से लेकर दलितों तक, भारतीयों ने अपने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए ब्रिटिश द्वारा थोपे गए आधुनिक कानूनों का इस्तेमाल किया है।

एक संकर संस्कृति का विकास

जब पश्चिमी आधुनिकता देशी सांस्कृतिक प्रणालियों से टकराई, तो एक संकर संस्कृति जैसी कोई चीज़ उभरी, संभवतः रचनात्मक अनुकूलन के परिणामस्वरूप, जिसका पश्चिमी आधुनिकता या स्वदेशी परंपरा में कोई एनालॉग नहीं था।

3.

THE PREAMBLE

संविधान प्रस्तावना

- संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, नेहरू ने 1946 में एक उद्देश्य संकल्प (एक संकल्प जो विधानसभा के लक्ष्यों को रेखांकित करता था) पेश किया।
- संविधान के निर्माण को प्रेरित करने वाले उद्देश्य और सिद्धांत इस संकल्प में सन्निहित थे।
- उद्देश्य संकल्प ने भारत के संविधान की नींव प्रदान की, जिसने समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और विश्वव्यापी पहचान के आवश्यक मूल्यों को संस्थागत बनाया।
- इसने एक ऐसी सरकार बनाने के नैतिक संकल्प को मजबूत किया जो राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा भारतीय लोगों से किए गए कई वादों को पूरा करेगी।
- संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी, 1947 को भारी बहुमत से स्वीकार किया गया था।
- हमारे संविधान की आवश्यक रूपरेखा प्रस्तावना के लक्ष्यों में सम्मिलित है। यह भारतीय संविधान के प्रमुख विचारों और दर्शन पर जोर देता है। इसे संविधान की आत्मा माना जाता है।

प्रस्तावना - उद्देश्य

प्रस्तावना का उद्देश्य सभी लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना है, साथ ही देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है।

प्रस्तावना में निहित कीवर्ड और दर्शन

लोगों के पास शक्ति है

- अर्थात् "हम भारत के लोग" के पहले कुछ शब्द बताते हैं कि लोगों के पास अंतिम शक्ति है। यह सच्चे अर्थों में एक लोकतंत्र है, जिसका अर्थ है कि यह लोगों द्वारा, उनके लिए और लोगों द्वारा शासित होता है।
- यह दर्शाता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है।

भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य बताता है।

संप्रभुता

- "संप्रभुता" शब्द से पता चलता है कि भारत एक संप्रभु राज्य है, न कि किसी अन्य देश पर निर्भरता या प्रभुत्व। इसके पास इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है, और यह अपने स्वयं के मामलों (आंतरिक और बाहरी दोनों) का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है।

समाजवादी

- लोकतांत्रिक समाजवाद समाजवाद का भारतीय ब्रांड है। लोकतांत्रिक समाजवाद "मिश्रित अर्थव्यवस्था" में विश्वास करता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह-अस्तित्व में होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, भारतीय समाजवाद गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को मिटाने की आकांक्षा रखता है।

धर्मनिरपेक्षता

भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक धारणा का प्रतीक है, जिसमें कहा गया है कि हमारे देश में सभी धर्मों (उनकी ताकत की परवाह किए बिना) को समान दर्जा और सरकार से समर्थन प्राप्त है।

लोकतांत्रिक

- भारतीय संविधान एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करता है जिसमें कार्यपालिका को विधायिका द्वारा सभी नीतियों और कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।
- भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति के माध्यम से प्रकट होती है।

गणतंत्र

- गणतंत्र " शब्द दर्शाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति है जो जनता द्वारा चुना जाता है।
- भारतीय राज्य के लक्ष्य इस प्रकार हैं: यहां व्यक्त की गई सबसे अधिक मांग वाली अवधारणाएं न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा हैं।

न्याय " न्याय " शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय को संदर्भित करने के लिए किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिनमें से सभी की गारंटी मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न लेखों द्वारा दी गई है।

स्वतंत्रता

- स्वतंत्रता " शब्द का तात्पर्य व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के साथ-साथ व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास की अनुमति देना भी है।
- प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के माध्यम से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देती है, जिसका उल्लंघन होने पर इसे अदालत में लागू किया जा सकता है।

समानता

- समानता " शब्द का तात्पर्य समाज में किसी भी समूह के लिए विशेष विशेषाधिकारों की कमी के साथ-साथ बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के लिए उपयुक्त अवसरों की उपलब्धता से है।
- प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को स्थिति और अवसर की समानता की गारंटी देती है। यह खंड समानता के तीन पहलुओं को शामिल करता है: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।

बिरादरी

- बंधुत्व को भाईचारे की भावना के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था स्थापित करके भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है।
- इसके अलावा, मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51-ए में कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय मतभेदों की परवाह किए बिना सभी भारतीयों के बीच सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

- प्रस्तावना इस बात पर जोर देती है कि भाईचारे को दो चीजों की गारंटी देनी चाहिए: मानवीय गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता।

प्रस्तावना - महत्व

- संविधान की प्रस्तावना उन मूलभूत मूल्यों और दर्शन को व्यक्त करती है जिन पर संविधान आधारित है, साथ ही उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को भी व्यक्त करती है जिनके लिए संविधान के संस्थापकों ने नीति को निर्देशित किया था।
- सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में प्रस्तावना के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है भारत की।
- किसी अधिनियम की प्रस्तावना उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिन्हें कानून प्राप्त करना चाहता है।
- यह कानून का एक प्रकार से परिचय है और कई बार नीति और विधायी मंशा को समझने में बहुत मददगार होता है। यह व्यक्त करता है "हमने इतने लंबे समय तक क्या सोचा था या सपना देखा था"।
- यह उन सभी विचारों और आकांक्षाओं का प्रतीक है जिनके लिए देश ने ब्रिटिश शासन के दौरान संघर्ष किया था।
- यह उन स्रोतों को इंगित करता है जहां से संविधान आया है - भारत के लोग
- इसमें अधिनियमित खंड शामिल है जो संविधान को लागू करता है।
- यह उन स्वतंत्रताओं की घोषणा करता है जिन्हें भारत के लोग सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित करना चाहते थे और बुनियादी प्रकार की सरकार और राजव्यवस्था की स्थापना की जानी थी।

प्रस्तावना - संशोधन

42वां संवैधानिक संशोधन

42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली और एकमात्र बार प्रस्तावना को बदला। 42 वें संशोधन के साथ तीन अतिरिक्त शब्द: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या

संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना - सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याएँ

बेरुबारी यूनियन केस में (1960)

- प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि संविधान के किसी अनुच्छेद में कोई शब्द अस्पष्ट है या उसकी एक से अधिक व्याख्या है तो प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- प्रस्तावना के महत्व की इस मान्यता के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना कानून के स्पष्ट प्रावधानों का स्थान ले सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी मामले में निष्कर्ष निकाला कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे कभी भी महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत नहीं माना जा सकता है।

केशवानंद भारती मामले में (1973)

- केशवानंद भारती मामले (1973) में, सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है।
- यह देखा गया है कि प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टिकोण के आलोक में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया मामला (1995)

- सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी ऑफ इंडिया मामले में फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
- इस प्रकार, भारत के संविधान के मूल विचार, उद्देश्य और दार्शनिक सिद्धांत स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं।

सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसलों के बावजूद, दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है -

1. प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है।
2. यह गैर-न्यायसंगत है, अर्थात् इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं हैं।

4

The concept of Vasudhaiva Kutumbakam

वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा

वसुधैव कुटुंबकम

वसुधैव कुटुंबकम वह वाक्यांश है जिसकी उत्पत्ति महा उपनिषद में हुई है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है "विश्व परिवार है"।

भारतीय विदेश नीति में महत्व

इसका उपयोग व्यापक रूप से वैश्विक मानदंडों, वैश्वीकरण के विषयों या वैश्विक कॉमन्स के बारे में भारत की आदर्श और उदार अवधारणा को व्यक्त करने के लिए किया गया है।

एनएएम: भारत ने किसी भी गुट के साथ गठबंधन न करके दुनिया में शांति सुनिश्चित करने की कोशिश की।

आईपीआर अधिकार: भारत विशेष एकाधिकार और मुनाफाखोरी के बजाय ज्ञान के खुले आदान-प्रदान के लिए लड़ रहा है।

वैक्सीन कूटनीति: भारत ने दुनिया भर के सभी छोटे-बड़े देशों को खुलकर वैक्सीन दान की।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता: भारत प्राकृतिक आपदाओं के समय अन्य देशों को तुरंत राहत पैकेज प्रदान करता है जैसे भूकंप के दौरान नेपाल को राहत पैकेज।

भारत शांति रक्षक बल: जहां भी संयुक्त राष्ट्र इसकी आवश्यकता पर प्रतिबंध लगाता है, भारत शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी सेना भेजता है।

इस प्रकार, भारत न केवल वकालत करता है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के नवशेकदम पर भी चलता है।

भारतीय विदेश नीति में "वसुधैव कुटुंबकम" का महत्व:

महत्व	उदाहरण
वैश्विक मानदंडों का व्यापक संप्रेषण	भारत के आदर्शों और उदार वैश्विक मानदंडों को बताता है।
	वैश्वीकरण और वैश्विक कॉमन्स के विषयों का प्रतिनिधित्व करता है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)	गुटों के साथ गठबंधन न करके वैश्विक शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता।
	विदेशी संबंधों में संप्रभुता और स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।
	एकाधिकार के बजाय खुले ज्ञान साझा करने की वकालत करते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)	सामाजिक लाभ के लिए नवाचारों तक न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देता है।
वैश्वीय कूटनीति	वैश्विक कल्याण पर जोर देते हुए विश्व स्तर पर टीके दान किए। मानवीय एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है।
आपदाओं में अंतर्राष्ट्रीय सहायता	तुरंत राहत पैकेज उपलब्ध कराए। संकट के दौरान एकजुटता और समर्थन प्रदर्शित करता है।
भारत शांति रक्षक बल	संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत शांति मिशनों के लिए बलों की तैनाती करता है। वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देता है।

5

FUNDAMENTAL RIGHTS

मौलिक अधिकार

भारत के "मैग्ना कार्टा" के रूप में संदर्भित, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है।

ये बुनियादी मानवाधिकार हैं, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित हैं। वे स्वभाव से न्याययोग्य हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बचाव और गारंटी दी गई।

1. पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जरूरी नहीं कि अपील के माध्यम से।
2. हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौलिक अधिकार प्रकृति में पूर्ण नहीं हैं, बल्कि योग्य हैं। ये "उचित प्रतिबंध" के अधीन हैं।

वे लोगों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा करने और राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए मौजूद हैं। ये राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। वे कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं।

#2 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची

भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त छह मौलिक अधिकार हैं:

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मूल रूप से, संविधान में 7 मौलिक अधिकार निहित थे। हालाँकि, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था। इसे कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया गया था।

मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं:

1. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)।
2. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)।
3. छह बुनियादी स्वतंत्रताएं उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं (अनुच्छेद 19)।
4. अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29)।
5. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनुच्छेद 30)।

नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार:

1. कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।
2. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)।
3. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)।
4. प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए)।
5. कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण (अनुच्छेद 22)।
6. मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध (अनुच्छेद 23)।
7. कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध (अनुच्छेद 24)।
8. अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार (अनुच्छेद 25)।
9. धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)।
10. किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति (अनुच्छेद 27)।
11. कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।

3 नागरिकों और गैर-नागरिकों को मौलिक अधिकारों की उपलब्धता**#4 मौलिक अधिकारों के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में निहित प्रावधान**

अनुच्छेद 12 संविधान के भाग III के प्रयोजन के लिए "राज्य" शब्द को परिभाषित करता है। राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

- संघ सरकार, राज्य सरकारों, पंचायतों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों आदि के कार्यकारी और विधायी अंग।
- अन्य सभी प्राधिकरण, या तो वैधानिक या गैर-वैधानिक प्रकृति के हैं।
- SC ने राज्य के एक साधन के रूप में काम करने वाली निजी संस्थाओं या एजेंसियों को भी "राज्य" शब्द के अर्थ में शामिल कर लिया है।

राज्य शब्द को सरकार की सभी एजेंसियों को शामिल करने के लिए व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है।

अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है।

- किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत या उसका उल्लंघन करने वाले सभी 'कानून' अमान्य होंगे।
- अनुच्छेद 13 में "कानून" शब्द का व्यापक अर्थ यह है कि इसमें सभी कानून (स्थायी या अस्थायी), वैधानिक उपकरण, आदेश, उप-कानून, विनियम या अधिसूचनाएं शामिल हैं।
- *केशवानंद भारती मामले* में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत "कानून" के दायरे में आते हैं और इस प्रकार न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

इसी तरह की शक्तियाँ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित हैं।

समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14 - राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा।

- कानून के समक्ष समानता - ब्रिटिश मूल;
 - यह एक 'नकारात्मक अवधारणा' है; "कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है"।

- किसी भी विशेष विशेषाधिकार का अभाव - प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।
- "कानून के समक्ष समानता" शब्द "कानून के शासन" की अवधारणा का एक तत्व है।
- कानून का समान संरक्षण - अमेरिकी संविधान से उधार लिया गया;
 - यह एक 'सकारात्मक अवधारणा' है; समान परिस्थितियों में समान व्यवहार।
 - समूहों के बीच भेदभाव हो सकता है लेकिन समूहों के भीतर नहीं। एक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों के लिए कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता होती है।

'कोई भी व्यक्ति' शब्द दर्शाता है कि यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी।

कानून के शासन की अवधारणा यह बताती है कि कानून सर्वोच्च है और इसलिए सरकार को कानून के अनुसार और कानून की सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए। यह कानूनी सिद्धांत है कि व्यक्तिगत सरकारी अधिकारियों के मनमाने निर्णयों द्वारा शासित होने के विपरीत, कानून को एक राष्ट्र पर शासन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 14 में सन्निहित कानून का शासन संविधान की एक 'बुनियादी विशेषता' है।

अनुच्छेद 15 - केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

- 'केवल' शब्द दर्शाता है कि अन्य आधारों पर भेदभाव निषिद्ध नहीं है।
- अनुच्छेद 15(1) - केवल राज्य द्वारा 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं; केवल नागरिकों के लिए।
- अनुच्छेद 15(2) - 5 आधारों (या) संयोजन पर कोई भेदभाव नहीं; राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा। उदाहरण: सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, सड़क, कुएं आदि तक पहुंच।
- कानून के समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) के तहत प्राप्त प्रावधानों (सकारात्मक भेदभाव) को सक्षम करने वाले हैं।
 - अनुच्छेद 15(3) - महिलाओं और बच्चों के लिए सक्षम प्रावधान। जैसे 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए आरक्षण; दिल्ली की ऑड-ईवन नीति; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम आदि।
 - अनुच्छेद 15(4) - राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, एससी/एसटी के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है; ^{प्रथम} संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया।
 - अनुच्छेद 15(5) - शैक्षणिक संस्थान (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त) में आरक्षण; 93^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया; केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पारित; अशोक कुमार ठाकुर मामले में क्रीमी लेयर को बरकरार रखा गया, (2008)।

- अनुच्छेद 15(6) - 103 ^{वाँ} संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया; ईडब्ल्यूएस आरक्षण (10%).

अनुच्छेद 16 - सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर।

- किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक रोजगार के मामलों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- अपवाद:
 - संसद कुछ अधीनस्थ सेवाओं में मृदा सिद्धांत के पुत्रों के लिए प्रावधान कर सकती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक रोजगार (निवास के अनुसार आवश्यकता), अधिनियम 1957।
 - एक कानून किसी विशेष धर्म से संबंधित धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थानों या शासी निकायों के कार्यालयों के पदधारी के लिए प्रावधान कर सकता है।
- अनुच्छेद 16(4) - ओबीसी को आरक्षण प्रदान करता है; एससी/एसटी;
 - ओबीसी के लिए मंडेल कमीशन (27%);
 - इंद्रा साहनी केस (1992) - पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं; 50% सीमा; ओबीसी में क्रीमी लेयर को बाहर किया जाएगा; एससी/एसटी के लिए पिछड़ेपन का कोई परीक्षण नहीं।
- अनुच्छेद 16(4ए) - 77 ^{वाँ} संवैधानिक संशोधन अधिनियम: पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता।
- अनुच्छेद 16(4बी) - 81 ^{वाँ} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (2000); नीति को आगे बढ़ाओ।
- अनुच्छेद 16(6) - 103 ^{वाँ} संवैधानिक संशोधन अधिनियम; ईडब्ल्यूएस आरक्षण।

अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का अन्त

- 'अस्पृश्यता' को समाप्त कर दिया गया है और सभी रूपों में इसका अभ्यास निषिद्ध है।
- संविधान इस अनुच्छेद के तहत कोई सज़ा निर्धारित नहीं करता है। इसलिए, संसद ने *अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955* अधिनियमित किया, जिसे बाद में संशोधित किया गया और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का नाम दिया गया।
- 'अस्पृश्यता' शब्द को संविधान या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार- 'अस्पृश्यता' को उसके शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए। इसे 'ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई प्रथा' के रूप में समझना होगा।
- अनुच्छेद 17 के अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। यह सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि अधिकारों का उल्लंघन न हो।

अनुच्छेद 18 - उपाधियों का उन्मूलन

- राज्य को उपाधियाँ प्रदान करने से रोकता है और भारत के नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियाँ स्वीकार करने से रोकता है।
- साथ ही राज्य के रोजगार के तहत विदेशी नागरिकों को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त करने पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 18 किसी भी सज़ा का प्रावधान नहीं करता है।
- अपवाद -

- सैन्य और अकादमी; समाज में सामाजिक असमानता से बचने के लिए
- भारत रत्न और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं (बालाजी राघवन बनाम यूओआई मामला)।
- भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उपाधियाँ नहीं।

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 - निम्नलिखित छह अधिकारों की गारंटी देता है:

अनुच्छेद 19(1)(ए) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

- केवल राज्य के विरुद्ध नागरिकों के लिए उपलब्ध है, निजी व्यक्तियों के लिए नहीं; स्वभाव से योग्य;
- उचित प्रतिबंध 19(2) – भारत की संप्रभुता और अखंडता; राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध; सार्वजनिक व्यवस्था; शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि; किसी अपराध के लिए उकसाना.
- न्यायालयों द्वारा तर्कसंगतता के परीक्षण के अधीन।
- अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है [रोमेश थापर मामला (1950)]

1. मानहानि [धारा 499 आईपीसी] - सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूओआई मामला।

- सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की वैधता को बरकरार रखा.
- अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त अधिकार के साथ संतुलित किया जाएगा।
- संवैधानिक भाईचारा सुनिश्चित करना

2. देशद्रोह [धारा 124ए आईपीसी] - सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ (1962) और बलवंत सिंह (1995) मामले में इसे बरकरार रखा।

- हिंसा का स्पष्ट और तत्काल उकसावा; केवल चर्चा और वकालत को देशद्रोह नहीं माना जाएगा।

3. सेंसरशिप (भारतीय सिनेमैटोग्राफिक अधिनियम, 1952)

4. नफरत फैलाने वाला भाषण - धारा 153ए (वर्ग और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करना)

अनुच्छेद 19(1)(बी) - बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार

- केवल सार्वजनिक भूमि पर ही प्रयोग किया जा सकता है
- भारत की संप्रभुता और अखंडता और किसी क्षेत्र में यातायात के रखरखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन। (अनुच्छेद 19(3)).
- धारा 144 (सीआरपीसी) - मजिस्ट्रेट सभा पर रोक लगा सकता है।

- धारा 141 (आईपीसी) - यदि लगाया जाता है, तो 5 या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा गैरकानूनी हो जाता है।

अनुच्छेद 19(1)(सी) - संघ बनाने का अधिकार सभी नागरिकों को संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है (97^{वें} संवैधानिक संशोधन, 2011 के माध्यम से शामिल)।

- भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन।
- हालाँकि, एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट की नजर में हड़ताल का अधिकार एक वैधानिक अधिकार (औद्योगिक कानूनों द्वारा नियंत्रित) है, मौलिक अधिकार नहीं।

अनुच्छेद 19(1)(डी) - भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, दो आधारों पर उचित प्रतिबंधों के अधीन - आम जनता के हित और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा। उदाहरण: इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र।

- भारत के भीतर यात्रा करने का अधिकार - अनुच्छेद 19 के माध्यम से; विदेश यात्रा का अधिकार - यद्यपि अनुच्छेद 21।

अनुच्छेद 19(1)(ई) - भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार

- दो आधारों पर उचित प्रतिबंधों के अधीन, अर्थात् - आम जनता के हित और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा।
- SC ने माना है कि कुछ क्षेत्रों को वेश्याओं और आदतन अपराधियों जैसे कुछ प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19(1)(एफ) - कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार

- राज्य तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है; सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता और लोगों के सामान्य कल्याण के आधार पर उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(बी))।
- इस अधिकार में अनैतिक पेशे को अपनाने का अधिकार शामिल नहीं है। उदाहरण: मानव तस्करी।

इंटरनेट एक्सेस का अधिकार: अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय को चलाने की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और इसलिए यह अनुच्छेद 19 के लिए अपरिहार्य है। गुलाम नबी आज़ाद मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार इंटरनेट बंद करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 20 - अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अपराधों के लिए मनमाने और अत्यधिक दंड से सुरक्षा नागरिकों को उपलब्ध है; विदेशी और साथ ही कानूनी संस्थाएँ। इसमें उस दिशा में तीन प्रावधान शामिल हैं:

- कोई पूर्व-पोस्ट फैक्टो कानून नहीं - किसी भी व्यक्ति को (ए) अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न ही (बी) निर्धारित से अधिक दंड के अधीन किया जाएगा। अधिनियम के कार्यान्वयन के समय लागू

कानून। इस प्रावधान के तहत संरक्षण केवल आपराधिक कानूनों के लिए लागू है, नागरिक कानूनों के लिए नहीं।

- दोहरा खतरा नहीं - किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती। इस प्रावधान के तहत सुरक्षा केवल अदालती कार्यवाही, न्यायाधिकरणों में उपलब्ध है, विभागीय अधिकारियों के समक्ष नहीं।
- कोई आत्म-दोषारोपण नहीं - किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान के तहत संरक्षण केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित है, सिविल कार्यवाही तक नहीं।

अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

- " कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया " -
 - एके गोपालन मामले (1950) में संकीर्ण व्याख्या - जीवन और स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा परिभाषित और सीमित किया जा सकता है।
 - मेनका गांधी मामले (1978) में व्यापक व्याख्या - कानून उचित, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 21 में निहित 'कानून की उचित प्रक्रिया' की व्याख्या की गई। कानून की उचित प्रक्रिया मूल रूप से एक अमेरिकी अवधारणा है।
- अनुच्छेद 21 के तहत निहित अधिकार
 - निजता का अधिकार (जस्टिस पुट्टास्वामी मामला 2017)
 - निष्क्रिय इच्छामृत्यु और जीवित वसीयत निष्पादित करने का अधिकार (एनजीओ कॉमन कॉज़ केस 2018)।
 - अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार (हादिया मामला 2018)।
 - प्रतिष्ठा का अधिकार (सुब्रमण्यम स्वामी केस 2016)।
 - प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (उन्नीकृष्णन केस 1993)।
- इसके अलावा, आजीविका का अधिकार; बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का अधिकार; शीघ्र न्याय का अधिकार; आसपास साफ-सफाई का अधिकार; विदेश यात्रा का अधिकार; सोने का अधिकार; आदि को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित अधिकार माना गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को 'मौलिक अधिकारों का हृदय' बताया है।

अनुच्छेद 21ए - शिक्षा का अधिकार

- 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।
- 86^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 45 के तहत एक निदेशक सिद्धांत था।

अनुच्छेद 22 - कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण

- अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) - दंडात्मक हिरासत : परीक्षण और दोषसिद्धि के बाद किसी व्यक्ति को दंडित करना। उपलब्ध सुरक्षा उपाय हैं:
 - सूचना पाने का अधिकार, परामर्श लेने और कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार।
 - 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार और जब तक मजिस्ट्रेट अनुमति न दे तब तक रिहा होने का अधिकार।
- अनुच्छेद 22(4) से अनुच्छेद 22(7) - निवारक हिरासत : प्रत्याशा में की गई हिरासत; प्रकृति में एहतियाती।
 - जब तक सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित न किया जाए, हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती।
 - हिरासत के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार।
- निवारक निरोध पर विधान -
 - रक्षा, विदेशी मामले और भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों से - संसद को कानून बनाने का विशेष अधिकार है।
 - किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए - संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती शक्तियां।

शोषण के खिलाफ अधिकार

अनुच्छेद 23 - मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध।

- अनुच्छेद 23(1) - मानव तस्करी, भिखारी (जबरन श्रम) और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाता है। उदाहरण: अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1986 बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 आदि।
- अनुच्छेद 23(2) - राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है; केवल धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।

अनुच्छेद 24 - कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।

- खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध।
- एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट - राज्य अधिकारियों को बच्चों के आर्थिक, सामाजिक और मानवीय अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25 - अंतःकरण, व्यवसाय, आचरण और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता

- इसमें धार्मिक विश्वासों के साथ-साथ धार्मिक अनुष्ठानों दोनों को शामिल किया गया है।
- उचित प्रतिबंध - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन।

अनुच्छेद 26 - धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।

- धर्म की "सामूहिक" स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

- धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार.
- विषय-वस्तु में अपना कार्य स्वयं चलाने का अधिकार ही धर्म है
- चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रशासन का अधिकार
- उचित प्रतिबंध - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन

अनुच्छेद 27 - धर्म के प्रचार के लिए करें के भुगतान से मुक्ति।

- किसी भी व्यक्ति को धार्मिक उद्देश्यों के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- राज्य को किसी विशेष धर्म के प्रति पक्षपाती होने से रोकता है।
- हालाँकि, राज्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन या विशेष सेवाओं के लिए शुल्क ले सकता है।

अनुच्छेद 28 - धार्मिक निर्देश में भाग लेने से मुक्ति।

- शैक्षणिक संस्थानों को चार श्रेणियों में विभाजित करता है :
 - पूर्णतः राज्य द्वारा अनुसूचित - धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है
 - राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त - स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक निर्देशों की अनुमति।
 - राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करें - स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक निर्देशों की अनुमति।
 - राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन धार्मिक बंदोबस्ती के तहत स्थापित - धार्मिक निर्देशों पर कोई प्रतिबंध नहीं।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण

- किसी भी 'नागरिकों के वर्ग' जिनकी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, को उसकी रक्षा करने का अधिकार है।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें नागरिकों के सभी वर्ग शामिल हैं।
- किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30 - शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार

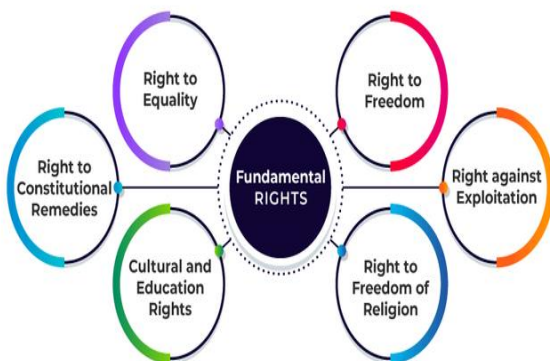
- सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।
- संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

#5 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)

अनुच्छेद 32 - मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पाने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार बन जाता है।

- बीआर अंबेडकर ने इसे " संविधान का हृदय और आत्मा " कहा।
- मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है।
- रिट की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है।
- रिट पाँच प्रकार की होती हैं:

- बंदी प्रत्यक्षीकरण - "एक शरीर पाने के लिए"; हिरासत की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायालय; राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध; *लोकस स्टैंडी* लागू नहीं होता।
- मैंडामस - "हम आदेश देते हैं"; सार्वजनिक प्राधिकरण को कुछ कार्य करने के लिए निर्देशित करना, प्रकृति में वैधानिक और विवेकाधीन नहीं, केवल राज्य के खिलाफ (राष्ट्रपति और राज्यपालों को छोड़कर) और निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं; *लोकस स्टैंडी* लागू नहीं होता है; सतत परमादेश का सिद्धांत
- निषेध - का शाब्दिक अर्थ है मना करना; आंतरिक न्यायालय या अर्ध-न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी, न्यायिक निकाय को निर्देशित करता है, प्रत्यक्ष निष्क्रियता (मैंडामस गतिविधि को निर्देशित करता है); मामले की सुनवाई से पहले; न्यायिक कार्य करने वाले प्रशासनिक प्राधिकार के विरुद्ध नहीं; *लोकस स्टैंडी* लागू होता है; प्रकृति में निवारक।
- सर्टिओरारी - प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना; उच्च न्यायपालिका द्वारा निचली न्यायपालिका को जारी किए गए मुद्दे - क्षेत्राधिकार की कमी, क्षेत्राधिकार की अधिकता और कानून की त्रुटि; यह प्रकृति में निवारक और उपचारात्मक दोनों हैं; *सुने जाने का अधिकार*
- अधिकार-पत्र - किस अधिकार या वारंट से? सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना; पर्याप्त महत्व का कार्यालय और मंत्रिस्तरीय नहीं; *लोकस स्टैंडी* लागू नहीं होता।



- यह सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार - मूल लेकिन अनन्य नहीं (अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा साझा)।
- चंद्र कुमार मामले (1997) में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों का रिट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना

का एक हिस्सा है।

- अनुच्छेद 32 को केवल कानून या आदेश की संवैधानिकता की जांच करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करता हो।
- अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एफआर को निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 19 को केवल 'युद्ध या बाहरी आक्रमण' [बाहरी आपातकाल] के मामले में निलंबित किया जा सकता है, न कि 'सशस्त्र विद्रोह' [आंतरिक आपातकाल] के आधार पर।

मौलिक अधिकारों का दायरा और अनुप्रयोग कुछ कानूनों को बचाने तक सीमित है:

- अनुच्छेद 31ए - सम्पदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत।

- **अनुच्छेद 31बी** - 9^{वाँ} अनुसूची में विधानों का सत्यापन। [आईआर कोएल्हो केस 2007];
 - सुप्रीम कोर्ट: 'बुनियादी संरचना सिद्धांत' के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन।
- **अनुच्छेद 31C** - कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले कानूनों की बचत।
 - 42^{वाँ} सीए द्वारा अनुच्छेद 31सी का दायरा संपूर्ण डीपीएसपी तक बढ़ा दिया गया;
 - मिनर्वा मिल्स मामले ने बढ़े हुए दायरे को खत्म कर दिया, दिया - सामंजस्यपूर्ण संतुलन का सिद्धांत।

अनुच्छेद 33 - संसद को सुरक्षा सेवाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है।

- शक्ति केवल संसद को प्रदत्त है, राज्य विधानमंडलों को नहीं।
- कोर्ट मार्शल को SC और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार से बाहर रखने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 34 - किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान है।

- संविधान में 'मार्शल लॉ' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
- वास्तव में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के निलंबन का परिणाम नहीं है।

अनुच्छेद 35 - कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने वाले कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित होगी, न कि राज्य विधानसभाओं में।

- अनुच्छेद 16(3) के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है न कि राज्य विधानमंडल को; अनुच्छेद 32(3); अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34.

#6 अन्य संवैधानिक अधिकार

अन्य संवैधानिक अधिकार

संपत्ति का अधिकार - मूल रूप से, अनुच्छेद 19(1)(एफ) और अनुच्छेद 31 के माध्यम से प्रदान किया गया। हालांकि, 1978 के 44^{वाँ} संशोधन अधिनियम ने भाग III से अनुच्छेद 19(1)(एफ) और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया।

- अनुच्छेद 300ए को 'संपत्ति का अधिकार' शीर्षक के तहत भाग XII में शामिल किया गया। इस प्रकार यह अब मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है।

वोट देने का अधिकार - अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।

अनुच्छेद 265 - कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 301 - भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य स्वतंत्र होगा।

6

DIRECTIVE PRINCIPLE OF STATE POLICY

डीपीएसपी - संवैधानिक प्रावधान और इसका वर्गीकरण

संविधान का भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51 तक, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन करता है।

- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को हमारे संविधान के तहत औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है; हालाँकि, बेहतर समझ के लिए और सामग्री और दिशा के आधार पर, उन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:
 - समाजवादी सिद्धांत
 - गांधीवादी सिद्धांत
 - उदार-बौद्धिक सिद्धांत

समाजवादी सिद्धांत

- ये समाज में सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने और कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य और लक्ष्य वाले सिद्धांत हैं।
- ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा का पता लगाते हैं और एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की संरचना तैयार करते हैं।
- मूल उद्देश्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना है (अनुच्छेद 38)
- वे विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से राज्य को निर्देश देते हैं, जिनमें से कुछ हैं, अनुच्छेद 39 ए- गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना;
- अनुच्छेद 42- काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना;
- अनुच्छेद 47- लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना; अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43ए जैसे कई अन्य अनुच्छेदों के साथ।

गांधीवादी सिद्धांत

- गांधीवादी विचारधारा पर आधारित ये सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके कुछ विचारों को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया गया था, और वे राज्य को अनुच्छेद 43 जैसे लेखों के माध्यम से निर्देशित करते हैं- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना;
- अनुच्छेद 47- स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाना;
- अनुच्छेद 48- गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना; अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43बी, और अनुच्छेद 46।

उदार-बौद्धिक सिद्धांत

- ये सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं।
- विभिन्न अनुच्छेदों के तहत, वे राज्य को विभिन्न आदर्शों को प्राप्त करने का निर्देश देते हैं जैसा कि अनुच्छेद 44 में देखा गया है- पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना;
- अनुच्छेद 45- सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना;
- अनुच्छेद 48- कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करें, अनुच्छेद 48ए, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 एवं अनुच्छेद 51।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संविधान के भाग-IV में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये:
 - अनुच्छेद 39ए: गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
 - अनुच्छेद 43ए: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के। एम
 - अनुच्छेद 48ए: पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।
- 44वें संवैधानिक संशोधन, 1978 ने अनुच्छेद 38 में धारा-2 को शामिल किया जो यह घोषित करता है: "राज्य, विशेष रूप से, आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा"।
- 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया।

भाग IV के बाहर निर्देश

भाग IV में शामिल निर्देशों के अलावा, संविधान के अन्य भागों में कुछ अन्य निर्देश भी शामिल हैं। वे हैं:

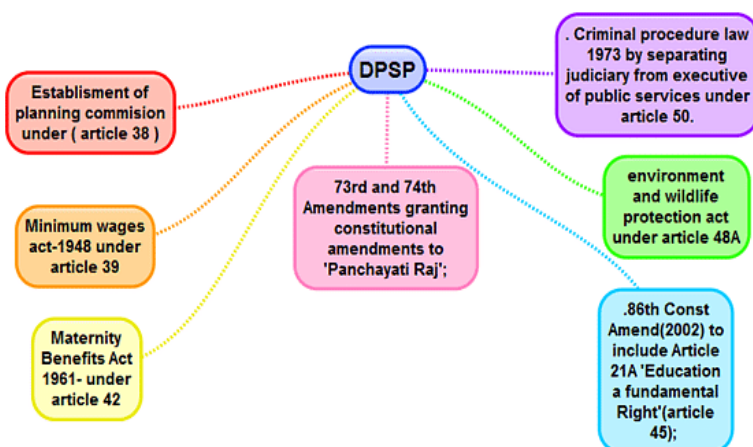
- सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे: मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा। संघ या राज्य का (भाग XVI में अनुच्छेद 335)।
- मातृभाषा में शिक्षा: प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं (अनुच्छेद 350-ए भाग में) XVII)।
- हिंदी भाषा का विकास: हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना और इसे विकसित करना संघ का कर्तव्य होगा ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके (अनुच्छेद 351)। भाग XVII). उपरोक्त निर्देश भी प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं। हालाँकि, न्यायपालिका द्वारा भी उन्हें इस आधार पर समान महत्व और ध्यान दिया जाता है कि संविधान के सभी हिस्सों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।

प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

- प्रस्तावना संविधान का एक संक्षिप्त परिचय है जिसमें उन सभी उद्देश्यों को शामिल किया गया है जो भारतीय संविधान के रचनाकारों के मन में थे।
- प्रस्तावना में निहित वाक्यांश "न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक" अंतिम लक्ष्य है जिसे डीपीएसपी के विकास के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।
- डीपीएसपी की भर्ती प्रस्तावना में बताए गए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है, जिसे आमतौर पर भारतीय संविधान के चार स्तंभों के रूप में जाना जाता है। इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी शामिल है, जिसका औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान अभाव था।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत - पृष्ठभूमि

- डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों का मूल एक समान है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कुछ मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त अधिकार भी शामिल थे, जैसे शिक्षा का अधिकार, जो उस समय लागू करने योग्य नहीं थे।
- 1945 की सप्रू रिपोर्ट ने उचित और गैर-न्यायसंगत मौलिक अधिकारों के बीच अंतर किया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित निर्देशों के उपकरण को वर्ष 1950 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में भारत के संविधान में शामिल किया गया है।
- डीपीएसपी की अवधारणा स्पेनिश संविधान में उत्पन्न हुई और इसे आयरिश संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान आयरिश राष्ट्रवादी आंदोलन से काफी प्रभावित था, और डीपीएसपी की धारणा को 1937 में आयरिश संविधान से कॉपी किया गया था।
- मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों को मसौदा समिति द्वारा बनाए गए संविधान के तीनों मसौदों में शामिल किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉ. बीआर अंबेडकर ने की थी।
- ये डीपीएसपी राज्य के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं और किसी भी नए कानून को बनाते समय उन्हें ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। हालाँकि, कोई भी राज्य को DPSP में निर्दिष्ट किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने और उसका पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि DPSP न्यायसंगत नहीं हैं।
- डॉ. बीआर अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की 'अनूठी विशेषताएं' बताया।



राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत - महत्व

- डीपीएसपी एक कल्याण प्रणाली के लिए दार्शनिक आधार प्रदान करता है। ये विचार इसे कल्याणकारी कानून के माध्यम से सुरक्षित करना राज्य का दायित्व बनाते हैं।

- निदेशक सिद्धांत राज्य की निष्पक्षता और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और कानून विकसित करने में सरकार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।
- उनका स्वभाव नैतिक मानकों की ओर झुकता है। वे राज्य के लिए एक नैतिक संहिता बनाते हैं लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं होता है क्योंकि नैतिक सिद्धांत अत्यधिक आवश्यक हैं और उनकी अनुपस्थिति किसी समुदाय के विकास को सीमित कर सकती है।
- निदेशक सिद्धांत राज्य के लिए अच्छे निर्देश हैं जो लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक घटकों की सुरक्षा में सहायता करते हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों को बढ़ाता है, जो राजनीतिक अधिकार और अन्य स्वतंत्रता प्रदान करता है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं

- डीपीएसपी कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।
- उन्हें गैर-न्यायसंगत माना गया क्योंकि राज्य के पास उन सभी को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हो सकते हैं या वह कुछ बेहतर और प्रगतिशील कानून भी ला सकते हैं।
- निदेशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए अत्यधिक व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं।
- वे संविधान की प्रस्तावना में स्थापित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान सिद्धांतों को साकार करना चाहते हैं।
- हालांकि गैर-न्यायसंगत, निदेशक सिद्धांत किसी कानून की संवैधानिकता का आकलन और निर्धारण करने में अदालतों की सहायता करते हैं।
- कई बार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय, यदि कोई अदालत पाती है कि विचाराधीन कानून एक निदेशक सिद्धांत को प्रभावी बनाना चाहता है, तो वह ऐसे कानून को अनुच्छेद 14 के संबंध में "उचित" मान सकता है। (कानून के समक्ष समानता) या अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रता), और इस प्रकार ऐसे कानून को असंवैधानिकता से बचाते हैं।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत - आलोचना

- कानूनी बल का अभाव: आलोचकों ने तर्क दिया कि इन निर्देशों को लागू करते समय कानूनी बल का अभाव है। इन सिद्धांतों के उल्लंघन को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- गैर-न्यायसंगत: संविधान उन्हें न्यायसंगत नहीं बनाता है और न ही वह समय-सीमा तय करता है जिसके भीतर उन्हें सुरक्षित किया जाना है, वे केवल इरादों की घोषणा हैं जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। आलोचक टी. शाह के अनुसार वे "बैंक द्वारा अपनी सुविधानुसार देय चेक हैं।"
- DPSP के साथ स्पष्टता का अभाव: उदाहरण के लिए, सभी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निदेशक सिद्धांत में इसके कार्यान्वयन के लिए समझदार दिशानिर्देशों का अभाव है।
- व्यावहारिक नहीं: कुछ सिद्धांत स्वभाव से व्यावहारिक नहीं हैं। भाग IV में कुछ निर्देश शामिल हैं जिन्हें वास्तविक व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता है। हरियाणा ने शराबबंदी लागू की लेकिन इसे लागू करना लगभग असंभव था। इसलिए हरियाणा सरकार को इसे रह करने के लिए मजबूर

होना पड़ा। निषेध के कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण निषेध को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

- फैबियन सोशलिस्ट पर आधारित सदियों पुराने और विदेशी दार्शनिक आधारों के समावेश के कारण निदेशक सिद्धांतों की आलोचना की जा रही है, जो वर्तमान दुनिया में लगभग अपनी प्रासंगिकता खो चुका है।
- कई आलोचकों का मानना है कि भाग IV में उनकी गणना ने चीजों को और अधिक जटिल बना दिया है क्योंकि यहां बताए गए सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं।
- निदेशक सिद्धांतों को राज्य की शक्ति के उचित और उपयोगी अभ्यास के बारे में धारणा बनाने के लिए पवित्र वादे के रूप में डिजाइन किया गया है। उनका लक्ष्य वादे करके समर्थन हासिल करना है न कि कार्रवाई के जरिए।

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संघर्ष: संबद्ध मामले

- चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य (1951): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि मौलिक अधिकार लागू करने योग्य हैं और निदेशक सिद्धांत लागू नहीं हैं, इसलिए मौलिक अधिकार बाद वाले पर प्रबल होंगे और उन्हें मौलिक अधिकारों के सहायक के रूप में चलना होगा।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलक नाथ (1967) के फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह इसकी "मूल संरचना" को नहीं बदल सकती है।
- मिन्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह संविधान की "मूल संरचना" को नहीं बदल सकती है।

डीपीएसपी का कार्यान्वयन:

संबद्ध अधिनियम और संशोधन

- 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 21-ए शामिल किया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। अब शिक्षा का अधिकार (आरटीई) भी लागू हो गया है।
- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचारों से बचाने के लिए, सरकार ने अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 बनाया है, जिसमें ऐसे अत्याचारों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
- 1948 का न्यूनतम वेतन अधिनियम सरकार को विभिन्न व्यवसायों में लगे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार देता है।

- 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है।
- संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से, (क्रमशः 1991 और 1992)। पंचायती राज को अधिक शक्तियों के साथ संवैधानिक दर्जा दिया गया है, पंचायती राज अब लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है।
- आपराधिक कानून से संबंधित सभी मामलों में राज्य के स्तर पर कानूनी सहायता अनिवार्य कर दी गई है, यदि अभियुक्त वकील नियुक्त करने के लिए बहुत गरीब है।
- जम्मू-कश्मीर और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है।
- भारत की विदेश नीति भी कुछ हद तक डीपीएसपी से प्रभावित रही है। भारत ने अतीत में आक्रामकता के सभी कृत्यों की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र की शांति-रक्षण गतिविधियों का भी समर्थन किया है। भारत भी परमाणु निरस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है।

7

FUNDAMENTAL DUTIES

मौलिक कर्तव्य

1950 में अपनी स्थापना के समय, भारत के मूल संविधान में नागरिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था।

- स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के बाद, जिसे उस वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा गठित किया गया था, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में पेश किया गया था।
- मौलिक कर्तव्य नागरिकों के व्यवहार को प्रबंधित करने और नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
- मौलिक कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं: नैतिक और नागरिक कर्तव्य
 - नैतिक कर्तव्य: स्वतंत्रता संग्राम के महान लक्ष्यों को कायम रखना
 - नागरिक कर्तव्य: संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान
- भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान के आधार पर बनाए गए हैं।
- विशेष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के किसी भी संविधान में नागरिकों के दायित्वों या मौलिक कर्तव्यों की सूची शामिल नहीं है।
- देशभक्ति को प्रोत्साहित करने और भारत की एकता की रक्षा करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी माना जाता है।
- भारतीय संविधान के भाग IV ए का अनुच्छेद 51ए मौलिक कर्तव्यों को संबोधित करता है।
- आवश्यक मौलिक कर्तव्य हमारे महान संतों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं द्वारा घोषित कुछ महान मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- स्वर्ण सिंह समिति (1976) सिफारिशें

स्वर्ण सिंह समिति (1976) सिफारिशें

- इसने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की।
- इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों को इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों के आनंद के अलावा, उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना है और संविधान में आठ मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया।
- केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू किया, जिसने संविधान में एक नया भाग, अर्थात् भाग IVA जोड़ा।
- नए भाग में केवल एक अनुच्छेद शामिल है, यानी अनुच्छेद 51ए जिसमें पहली बार नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्यों का एक कोड निर्दिष्ट किया गया है।
- दिलचस्प बात यह है कि समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए, उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया, जिसमें शामिल हैं:

- संसद ऐसे दंड या दंड लगाने का प्रावधान कर सकती है जो किसी भी कर्तव्य का पालन न करने या पालन करने से इनकार करने पर उचित समझा जा सकता है।
- किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन या संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान के प्रतिकूल होने के आधार पर किसी भी अदालत में इस तरह का जुर्माना या सजा लगाने वाले किसी भी कानून पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
- कर चुकाने का कर्तव्य भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए।

86वां संशोधन 2002

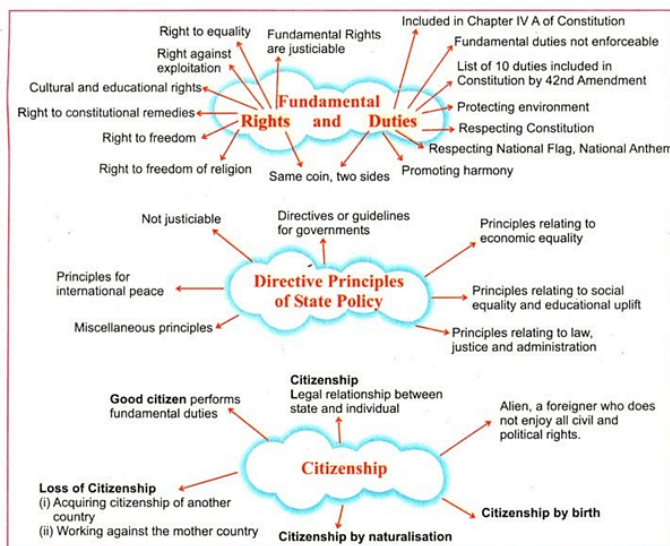
- 86वें संवैधानिक संशोधन (2002) ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21ए जोड़ा, जिसमें कहा गया है कि "राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।"
- अनुच्छेद 51ए में भी संशोधन किया गया, और खंड (जे) के बाद, निम्नलिखित खंड (के) जोड़ा गया: "जो माता-पिता या अभिभावक हैं, जो अपने बच्चे या, जैसा भी मामला हो, छह वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान कर सकता है।" और चौदह वर्ष।"
- इसने बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों के प्रावधान को माता-पिता का मौलिक दायित्व बना दिया।

मौलिक कर्तव्यों की सूची

लेख	प्रावधानों
51 ए (ए)	संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
51 ए (बी)	उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया।
51 ए (सी)	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
51 ए (डी)	देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएँ प्रदान करना।
51 ए (ई)	धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना; महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
51 ए (एफ)	हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।
51 ए (जी)	वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना।
51 ए (एच)	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना।
51 ए (आई)	सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना।
51 ए (जे)	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँच सके।
51 ए (के)	माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वह छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच, जैसा भी मामला हो, अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें (86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

मौलिक कर्तव्यों का दायरा

- मौलिक कर्तव्य स्वाभाविक रूप से अनिवार्य हैं
- हालाँकि, संविधान में इन जिम्मेदारियों को सीधे लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- उनके उल्लंघन पर रोक लगाने का भी कोई परिणाम नहीं है। हालाँकि, निम्नलिखित तथ्य मौलिक कर्तव्यों के महत्व को प्रदर्शित करते हैं:
 - एक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों और दायित्वों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में, यदि अदालत को पता चलता है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों को लागू करवाना चाहता है, वह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है, तो अदालत उसके प्रति उदार नहीं होगी। या उसका मामला।
 - किसी भी भ्रामक कानून को मौलिक कर्तव्यों का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है।
 - यदि कानून किसी मौलिक दायित्व को प्रभावी बनाता है, तो अदालत इसे उचित मान सकती है। इस प्रकार न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक माने जाने से रोक सकता है।



मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता

- अधिकार और कर्तव्य परस्पर अनन्य हैं।
- आवश्यक दायित्व सभी नागरिकों को निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं, और संविधान स्पष्ट रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
- यदि कोई संविधान की सावधानीपूर्वक जांच करता है, तो वह न केवल अपने अधिकारों, बल्कि अपने दायित्वों को भी उजागर करेगा।

करता है, तो वह न केवल अपने अधिकारों, बल्कि अपने दायित्वों को भी उजागर करेगा।

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी लोगों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जैसे कि राय, भाषण, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता।
- ये पूर्ण अधिकार नहीं हैं क्योंकि राज्य इन्हें समाज के हित में सीमित कर सकता है।
- शेष प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे दायित्वों पर जोर दिया गया।

मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं

- उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं।
- उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना एक नैतिक सिद्धांत है जबकि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है।
- उनमें अनिवार्य रूप से भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्मों और प्रथाओं जैसे भारतीय जीवन शैली से अभिन्न कार्यों का एक संहिताकरण शामिल है।
- मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं और विदेशियों तक इसका विस्तार नहीं है।

- वे गैर-न्यायसंगत भी हैं और संविधान अदालतों द्वारा उनके सीधे प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है।

मौलिक कर्तव्यों का महत्व

- मौलिक कर्तव्यों का महत्व यह है कि वे देशभक्ति को बढ़ावा देने और भारत की एकता के संरक्षण में योगदान देने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों को परिभाषित करते हैं।
- नागरिकों को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करें कि अपने अधिकारों का आनंद लेने के साथ-साथ उन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए।
- राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करें।
- नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करें और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा दें।
- किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की सहायता करें।
- वे कानून द्वारा लागू करने योग्य हैं। इसलिए, संसद उनमें से किसी को भी पूरा करने में विफलता के लिए उचित दंड या सजा लगाने का प्रावधान कर सकती है।

मौलिक कर्तव्यों की आलोचना

- कर्तव्यों की सूची संपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें वोट डालना, करों का भुगतान करना, परिवार नियोजन इत्यादि जैसे अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य शामिल नहीं हैं।
- कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, अस्पष्ट और आम आदमी के लिए समझने में कठिन हैं।
- उदाहरण के लिए, 'महान आदर्श', 'सामाजिक संस्कृति', 'वैज्ञानिक स्वभाव' आदि वाक्यांशों की अलग-अलग व्याख्याएँ दी जा सकती हैं।
- उनके गैर-न्यायसंगत चरित्र के कारण आलोचकों द्वारा उन्हें नैतिक उपदेशों की संहिता के रूप में वर्णित किया गया है।
- अतिशयोक्तिपूर्ण- क्योंकि संविधान में मौलिक रूप से शामिल कर्तव्यों का पालन लोगों द्वारा किया जाएगा, भले ही उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया हो।

मौलिक कर्तव्यों की समीक्षा के लिए वर्मा समिति

- न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन 1998 में मौलिक कर्तव्यों को सिखाने और इसे हर शैक्षणिक संस्थान में लागू करने योग्य बनाने और इन-सर्विसिंग प्रशिक्षण शुरू करने के लिए देश भर में शुरू किए गए कार्यक्रम के संचालन के लिए एक रणनीति बनाने और एक पद्धति पर काम करने के लिए किया गया था।
- इसने सिफारिश की कि चुनाव में मतदान करने, शासन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और करों का भुगतान करने का कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51ए में शामिल किया जाना चाहिए।
- इसने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की भी पहचान की, जैसे:
- राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम (1971) भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है।

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 4 (1955) जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- 1967 का गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम एक सांप्रदायिक संगठन को गैरकानूनी संघ घोषित करने का प्रावधान करता है।

मौलिक अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंध

- मौलिक अधिकार भारतीय लोगों को अन्य बातों के अलावा उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार हैं।
- इन्हें नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार के रूप में भी जाना जाता है। निदेशक सिद्धांत सरकार को कानून बनाने के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत हैं।
- ये मौलिक अधिकारों की तरह अदालत द्वारा लागू करने योग्य प्रावधान नहीं हैं। ये सिद्धांत राज्य के शासन के लिए आवश्यक मापदंडों के रूप में कार्य करते हैं जबकि राज्य कानून विकसित कर रहा है और अपना रहा है।
- मौलिक कर्तव्य सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं जो देशभक्ति और भारतीय एकता को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं।
- वे, निदेशक सिद्धांतों की तरह, अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं क्योंकि उनमें व्यक्ति और राष्ट्र शामिल हैं।
- जब कानून मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करता है, तो कानून की संवैधानिक वैधता की रक्षा के लिए निदेशक सिद्धांतों को लागू किया गया है। नागरिकों के कल्याण के लिए कानून की नींव बनाने के लिए मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों का भी उपयोग किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों का उपयोग उन कानूनों की संवैधानिक वैधता की रक्षा के लिए किया है जो संविधान के भाग IV, अर्थात् मौलिक कर्तव्यों में उल्लिखित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
- इन कर्तव्यों को सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य माना जाता है, बशर्ते कि राज्य उन्हें कानूनी कानून द्वारा लागू करे।
- सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य को नियमों को प्रभावी बनाने और नागरिकों को अपना काम सही ढंग से करने में सक्षम बनाने का निर्देश दिया है।

8

PARLIAMENT

संघ विधायी संसद

परिचय

- सर्वोच्च विधायी निकाय: संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत की संसद इसका सर्वोच्च विधायी निकाय है।

सरकार के संसदीय स्वरूप (सरकार का 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल) को अपनाने के कारण यह भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख और केंद्रीय स्थान रखता है।

- पहली संसद: भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 के दौरान हुआ और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल, 1952 में अस्तित्व में आई।
- संवैधानिक प्रावधान: संविधान के भाग V में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित हैं।
- संसद के लिए संदर्भ का ढाँचा: भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसद के लिए अमेरिकी पैटर्न के बजाय ब्रिटिश पैटर्न पर भरोसा किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है, हालाँकि, भारत में, यह है। संसद के अंग

राज्य सभा (राज्यों की परिषद):

के बारे में: यह उच्च सदन (द्वितीय सदन या बुजुर्गों का सदन) है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।

राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है।

भारतीय संविधान की IV अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

संरचना: राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है (जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं)। सदन की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।

प्रतिनिधियों का चुनाव: राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

राज्यसभा में प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

केवल तीन केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर) का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है (अन्य की पर्याप्त जनसंख्या नहीं है)।

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिनके पास कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है।

तर्क यह है कि बिना चुनाव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदन में जगह दी जाए।

कार्य: लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करने और उनमें बदलाव करने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

यह कानून बनाने की पहल भी कर सकता है और कानून बनने के लिए किसी विधेयक का राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है।

शक्ति

राज्य संबंधी मामले: राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इसलिए, राज्यों को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला इसकी सहमति और अनुमोदन के लिए इसके पास भेजा जाना चाहिए। यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना/स्थानांतरित करना चाहती है, तो राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है।

लोकसभा (लोगों का सदन): के बारे में: यह निचला सदन (प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन) है और यह समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

संरचना: लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे।

लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो-इंडियन समुदाय से भी दो सदस्यों को नामांकित किया था, लेकिन 95^{वां} संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक वैध था।

प्रतिनिधियों का चुनाव: राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा किया जाता है।

केंद्र शासित प्रदेश (लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव) अधिनियम, 1965 द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है।

कार्य: लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करना है, व्यक्तियों का एक समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

जब हम सरकार शब्द का उपयोग करते हैं तो अक्सर यही कार्यपालिका हमारे मन में आती है।

शक्तियाँ:

संयुक्त बैठक में निर्णय: किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।

हालाँकि, दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाकर लिया जाता है।

- बड़ी ताकत के कारण, ऐसी बैठक में लोकसभा का विचार प्रबल होने की संभावना है।
- धन संबंधी मामलों में शक्ति: लोकसभा धन संबंधी मामलों में अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है। एक बार जब लोकसभा सरकार के बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है, तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती।

- राज्यसभा इसमें केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है, हालाँकि, राज्यसभा इन बदलावों को स्वीकार भी कर सकती है और नहीं भी।
- मंत्रिपरिषद पर शक्ति: लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में 'कोई विश्वास नहीं' है, तो प्रधान मंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा।
- राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं है।

अध्यक्ष:

के बारे में: भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए संसद में नहीं बैठता है, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग है।

वह राज्य का प्रमुख होता है और देश का सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है।

नियुक्ति : संसद के निर्वाचित सदस्य (सांसद) और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य (विधायक) भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।

शक्तियाँ:

- किसी विधेयक को पारित करने के लिए सहमति: संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता।
- सदनों को बुलाना और स्थगित करना: उसके पास दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने, लोकसभा को भंग करने और जब सदन सत्र में नहीं हैं तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।

- राज्य सभा की सदस्यता : वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

उसे यह कहते हुए शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार , उसे उस राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है।
- हालाँकि, 2003 में एक प्रावधान किया गया था कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो।

लोकसभा: उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

- उसे शपथ या प्रतिज्ञान के माध्यम से घोषित करना चाहिए कि उसकी संविधान में सच्ची आस्था और निष्ठा है और वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा।
- उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और उसे भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- अयोग्यताएँ:
संवैधानिक आधार पर:
- यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है (किसी मंत्री या संसद द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य पद को छोड़कर)।
- यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और अदालत द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है।

- यदि वह अनुमोचित दिवालिया है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है (या अब नहीं है)।
- यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
- वैधानिक आधार पर (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951):
- चुनावों में कुछ चुनावी अपराधों/भ्रष्ट प्रथाओं का दोषी पाया गया।
- किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जिसके परिणामस्वरूप दो या अधिक वर्षों के लिए कारावास हुआ (निवारक हिरासत कानून के तहत हिरासत अयोग्यता नहीं है)।
- भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो।
- विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्ततखोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।
- अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और आचरण करने के लिए दंडित किया गया।
- कार्यकाल:
 - राज्य सभा: राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य को छह वर्ष का सुरक्षित कार्यकाल प्राप्त होता है। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वे सदस्यता के लिए फिर से चुनाव लड़ने के हकदार हैं।
 - लोकसभा: लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष है। लेकिन राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, इसे पाँच वर्ष की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है।
 - राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद यह छह महीने से अधिक नहीं होगा।
- अधिकारी:
 - राज्य सभा: भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति (इसके सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित)
 - सदन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
 - लोकसभा: लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। वह लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर नया अध्यक्ष नहीं चुन लेता।
 - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, एक उपाध्यक्ष (सदन द्वारा निर्वाचित) बैठकों की अध्यक्षता करता है।

संसद की शक्तियाँ/कार्य

- संघ सूची के विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडलों के साथ-साथ संसद को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है।
 - किसी भी सूची में उल्लिखित विषय में, अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं।
 - वित्तीय कार्य: यह सार्वजनिक धन का संरक्षक है। सरकार संसद की मंजूरी के बिना न तो जनता पर कोई टैक्स लगा सकती है और न ही पैसा खर्च कर सकती है।
 - बजट को हर साल संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है।

- चुनावी कार्य: यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करता है।
 - लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।
- हटाने की शक्ति: संसद की पहल पर कुछ उच्च पदाधिकारियों को पद से हटाया जा सकता है। यह संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकता है।
- संविधान में संशोधन: संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन संसद द्वारा विशेष बहुमत से किया जा सकता है।
 - कुछ प्रावधानों को केवल राज्यों की मंजूरी से संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
 - संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।
 - प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव आदि
 - के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। सरकार हमेशा इन प्रस्तावों को बहुत गंभीरता से लेती है क्योंकि सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती है और मतदाताओं पर उनका संभावित प्रभाव पड़ता है। अंततः सरकार को ही सामना करना पड़ेगा।

9

GOOD GOVERNANCE

सुशासन-अवधारणा

- भारत में, सुशासन की अवधारणा कई प्रशासनिक और न्यायिक चिंताओं के जवाब में स्थापित की गई थी।
- यह एक अपेक्षाकृत नया शब्द है जो 1990 के दशक में उभरा; फिर भी, सुशासन की धारणा भारतीय संस्कृति के लिए नई नहीं है।
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने अच्छी सरकार, जवाबदेही और निष्पक्षता की बुनियादी अवधारणाओं की सार्वभौमिक अपील और प्रयोज्यता पर जोर दिया।
- शासन क्या है?: यह निर्णय लेने और निर्णय-कार्यान्वयन की प्रक्रिया है, शासन का विश्लेषण निर्णय लेने और निर्णय-कार्यान्वयन में शामिल औपचारिक और अनौपचारिक अभिनेताओं के साथ-साथ औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाओं पर केंद्रित है। निर्णय पर पहुंचने और उसे क्रियान्वित करने के लिए इसे लागू करें।
- सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि भ्रष्टाचार से बचा जाए, अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण पर विचार किया जाए और निर्णय लेने में समाज के सबसे वंचित लोगों की आवाज़ सुनी जाए।
- यह समाज की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी प्रासंगिक है।
- सुशासन के आठ सिद्धांत

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने प्रभावी शासन की आठ प्रमुख विशेषताओं की पहचान की है। वे सब किस बारे में हैं इसका एक संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है:

1. उत्तरदायी: संस्थानों और प्रक्रियाओं को उचित समय सीमा के भीतर सभी हितधारकों को सेवा प्रदान करनी चाहिए।
2. जवाबदेह: सुशासन लोगों के जीवन में सुधार लाना चाहता है और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकारी संस्थानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों को सार्वजनिक और संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जाता।
3. पारदर्शी: जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए।
4. प्रभावी और कुशल: समुदाय के संसाधनों का उपयोग अपने समुदाय के उत्पादन और मांगों को अधिकतम करने के लिए बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए।
5. समानता और समावेशिता: एक न्यायपूर्ण समाज अच्छी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
6. आम सहमति-उन्मुख: निर्णय-प्रक्रिया यह आश्वासन देती है कि, भले ही हर कोई अपनी इच्छानुसार सब कुछ पूरा नहीं कर पाता है, फिर भी हर कोई एक सामान्य न्यूनतम प्राप्त कर सकता है जो किसी के लिए हानिकारक नहीं है।
7. सहभागी: पुरुषों और महिलाओं, साथ ही समाज के वंचित वर्गों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों को अधिकृत स्थानीय संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

8. कानून का शासन: कानूनी ढांचे, विशेष रूप से मानवाधिकार कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। यदि कानून का शासन नहीं होगा तो ताकतवर कमजोरों पर हावी हो जाएंगे।



सुशासन-सुशासन की आवश्यकता

आर्थिक विकास

- यदि किसी राज्य में मजबूत प्रशासन का अभाव है तो उसकी आर्थिक प्रगति अस्थिर होगी।
- आर्थिक विकास के सभी पहलुओं को उत्पादन, वितरण, निवेश और यहां तक कि उपभोग सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- यदि उत्कृष्ट शासन प्राप्त हो जाता है तो ऐसी बाधाएं दूर हो जाएंगी और राज्य संसाधनों का उचित वितरण संभव हो सकेगा।

सामाजिक विकास

- एक सभ्यता में विभिन्न धर्मों, जातियों और सामाजिक स्तर के लोग सह-अस्तित्व में रहते हैं। अब, यदि आय इन सभी लोगों के बीच उचित रूप से वितरित नहीं की गई, तो सामाजिक अशांति बढ़ेगी।
- फिर, समान धन वितरण अपर्याप्त है। हमें अल्पसंख्यकों को बिना किसी डर के चलने में सक्षम बनाने के लिए आवास बनाने की आवश्यकता है।

- इसी प्रकार, समाज में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए कई सुधार उपाय स्थापित किए जाने चाहिए।

राजनीतिक विकास

- इसका राजनीतिक विकास से महत्वपूर्ण संबंध है।
- इसकी सफलता मुख्य रूप से राजनीतिक नेतृत्व की ईमानदारी और राजनीतिक प्रतिष्ठान के नियमों और विनियमों के पालन पर निर्भर है।
- लोगों के कल्याण के लिए नीतियों का डिज़ाइन, साथ ही राजनीतिक संस्थानों और राजनीतिक दलों के बीच रचनात्मक सहयोग, आपस में अच्छी प्रतिस्पर्धा और सुशासन विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चुनौतियां

राजनीति का अपराधीकरण

- एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के अनुसार, लोकसभा 2019 के 43 प्रतिशत सदस्य आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह 2014 की तुलना में 26 प्रतिशत की वृद्धि है।
- राजनीतिक प्रक्रिया के अपराधीकरण के साथ-साथ राजनेताओं, नागरिक अधिकारियों और आर्थिक हितों के गठजोड़ का सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- परिणामस्वरूप, गंभीर और जघन्य अपराधों या भ्रष्टाचार के लिए आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में संशोधन किया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार

- शासन की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए भ्रष्टाचार एक प्रमुख चुनौती है।
- जबकि लोगों का लालच स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का कारण है, यह संस्थागत प्रोत्साहन और भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए एक मजबूत प्रवर्तन प्रणाली की कमी है जिसके कारण भारत का ग्राफ बढ़ रहा है।
- ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स-2019 के मुताबिक भारत की रैंकिंग 78 से गिरकर 80 पर आ गई है।

लिंग असमानता

- यह असमान है कि सरकारी संस्थानों और अन्य जुड़े उद्योगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
- परिणामस्वरूप, अच्छी सरकार सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

विलंबित न्याय

एक नागरिक को त्वरित न्याय पाने का अधिकार है, फिर भी विभिन्न स्थितियों के कारण औसत व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है।

प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकरण

निचले स्तर की सरकारें तभी कुशलतापूर्वक कार्य कर सकती हैं यदि उन्हें अधिकार दिया जाए। यह पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें अब संवैधानिक रूप से अनिवार्य कार्यों को पूरा करने के लिए धन और अधिकारियों के अपर्याप्त हस्तांतरण का सामना करना पड़ता है।

पहल

भारत में सुशासन की पहल

सूचना का अधिकार

सरकार को सार्वजनिक परीक्षण के लिए अधिक खुला बनाकर, सूचना का अधिकार प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

ई-शासन

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को सामान्य सेवा वितरण चैनलों के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध कराना है, साथ ही उचित दरों पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और निर्भरता सुनिश्चित करना है।
- प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति), डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, एमसीए21 (कंपनी मामलों के मंत्रालय की सेवाओं की डिलीवरी में समयबद्धता और निश्चितता बढ़ाने के लिए), पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके), ऑनलाइन आयकर रिटर्न और अन्य ई-शासन कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।
- 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पर जोर दिया जाना चाहिए।

व्यापार करने में आसानी

- सरकार ने व्यावसायिक स्थितियों में सुधार के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें देश के कारोबारी माहौल और नीति पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे दिवालियापन संहिता, माल और सेवा कर या जीएसटी, और धन-शोधन विरोधी कानून) में सुधार लाने के उद्देश्य से कानून शामिल हैं।
- सरकार ने 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।

पुलिस सुधार

- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना और 2015 मॉडल पुलिस अधिनियम को क्रियान्वित करना।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दाखिल करने की प्रक्रिया में सुधार, जिसमें छोटे अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर फाइलिंग की शुरुआत भी शामिल है।
- निवासियों की आपातकालीन सुरक्षा मांगों को पूरा करने के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर लॉन्च करें।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम - आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) जनवरी 2018 में काउंटी के अविकसित क्षेत्रों में लोगों के जीवन को समय पर बदलने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।

- इस पहल का लक्ष्य स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से सबसे पिछड़े 115 जिलों में बदलाव लाना है।

विकेंद्रीकरण - केंद्रीकृत योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) ने ले ली।

- वित्तीय वर्ष 2015 से 2020 के लिए, 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को विभाज्य पूल के कर हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया।

सुशासन सूचकांक

- सुशासन सूचकांक एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य प्रतिमान है जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करके राज्यों और जिलों की रैंकिंग की अनुमति देता है।
- उद्देश्य: जीजीआई का लक्ष्य एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिसका उपयोग केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए सभी राज्यों में लगातार किया जा सके।
- सूचकांक जीजीआई फ्रेमवर्क के आधार पर राज्यों की तुलनात्मक छवि प्रदान करते हुए प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धी भावना का निर्माण करता है।
- यह दस क्षेत्रों में 58 संकेतकों द्वारा समर्थित है। उदाहरण; कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि।

निष्कर्ष

देश का हर नागरिक सरकार के बेहतर कामकाज को लेकर चिंतित है। नागरिक प्रभावी सरकारी सेवाओं के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन जो आवश्यक है वह एक पारदर्शी, जिम्मेदार और समझने योग्य शासकीय संरचना है जो पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह से मुक्त हो।

10.

SMART GOVERNMENT स्मार्ट सरकार

बेहतर योजना और निर्णय लेने की सुविधा और समर्थन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बारे में है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के तरीकों में बदलाव लाने के बारे में है। इसमें ई-गवर्नमेंट, दक्षता एजेंडा और मोबाइल कामकाज शामिल हैं। उदाहरण के लिए: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस।

- यह सार्वजनिक सेवाओं के भविष्य के बारे में है, जो नवाचार के माध्यम से अधिक दक्षता, सामुदायिक नेतृत्व, मोबाइल कामकाज और निरंतर सुधार लाता है।
- यह ई-गवर्नेंस की आगे की प्रक्रिया है।
- सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन लाना। इसका तात्पर्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ-साथ नागरिकों के लिए जिम्मेदारियों के नए सेट को शामिल करके सरकारी संचालन में मूलभूत परिवर्तन करना है।

स्मार्ट गवर्नेंस का अर्थ:

- सरल- मतलब आईसीटी के उपयोग के माध्यम से सरकार के नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण और इस प्रकार एक उपयोगकर्ता-अनुकूल सरकार प्रदान करना।
- नैतिक- राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी में नैतिक मूल्यों की एक पूरी तरह से नई प्रणाली के उद्भव को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप से भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों, पुलिस, न्यायपालिका आदि की दक्षता में सुधार होता है।
- जवाबदेह- प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रदर्शन माप तंत्र के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और इस तरह सार्वजनिक सेवा की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- उत्तरदायी-सेवा वितरण में तेजी लाने और सिस्टम को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- सरकारी दस्तावेजों में अब तक सीमित जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में लाना और प्रक्रियाओं और कार्यों को पारदर्शी बनाना, जो बदले में प्रशासनिक एजेंसियों की प्रतिक्रियाओं में समानता और कानून का शासन लाएगा।

भारतीय नौकरशाही के संदर्भ में महत्व:

- स्मार्ट गवर्नेंस में सादगी, नैतिकता, जवाबदेही, जिम्मेदारी और पारदर्शिता जैसी विशेषताएं शामिल हैं जिन्हें आधुनिक भारत में सिविल सेवकों की आवश्यक विशेषताएं माना जाता है क्योंकि हम नियम आधारित राज्य से समाजवादी और कल्याण उन्मुख राज्य में उभरे हैं।
- आधुनिक नौकरशाही सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है जिसके लिए स्मार्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- यह स्मार्ट दृष्टिकोण लोगों की भागीदारी, जवाबदेही और दक्षता, पारदर्शिता, उपयोगकर्ता के अनुकूल सरकारी प्रक्रियाओं, पदानुक्रमित बाधाओं को हटाने और लालफीताशाही को अंततः बेहतर सेवा वितरण में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

शासन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग निश्चित रूप से काफी हद तक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार लाएगा जैसे:

- प्रशासनिक प्रक्रियाओं का स्वचालन: इससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा, जिससे बिना किसी निहित स्वार्थ के पूर्वाग्रह रहित सेवा वितरण होगा और अंततः लालफीताशाही की संस्कृति समाप्त होगी। इससे प्रशासन में भी दक्षता आएगी। प्रत्येक विभाग के लिए ऑनलाइन जानकारी की उपलब्धता से संचालन और फ़ाइल संचलन को ऑनलाइन करने में मदद मिलेगी और साथ ही बजट, लेखांकन और डेटा प्रवाह में आसानी होगी।
- कागज-कार्य में कमी: यह प्रत्येक कर्मचारी के डेस्क पर तारों के माध्यम से फ़ाइलों और मेल (सूचना) के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, जिससे शारीरिक गतिविधि और खपत के साथ-साथ कागजों के विशाल ढेर का भंडारण भी कम हो जाता है। इससे कचरा कम पैदा होने के साथ पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद मिलती है।
- सेवाओं की गुणवत्ता: ऑनलाइन जानकारी की उपलब्धता संगठन को नागरिकों के सामने अपनी विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम बनाती है। यह उन्हें अधिक जवाबदेही, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करने में सक्षम बनाता है क्योंकि लोग कुशलतापूर्वक और तुरंत और साथ ही आर्थिक रूप से सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। वीडियो टेली-कॉन्फ्रेंसिंग निगरानी ने केंद्रीय पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग और आमने-सामने संचार की सुविधा प्रदान की है जिससे सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हुई है।
- पदानुक्रम का उन्मूलन - इंटरनेट और लैन की शुरुआत के माध्यम से संगठनों में पदानुक्रमित प्रक्रिया के कारण होने वाली प्रक्रियात्मक देरी में कमी आई है क्योंकि किसी संगठन में विभिन्न स्तरों पर सूचना और डेटा भेजना और प्राप्त करना तुरंत संभव हो गया है, जिससे सभी स्तरों की भागीदारी में मदद मिलती है। निर्णय लेने में।
- प्रशासनिक संस्कृति में जवाबदेही, खुलेपन, अखंडता, निष्पक्षता, समानता, जिम्मेदारी और न्याय के मानदंडों और मूल्यों को प्रेरित किया गया है, जो इसे 'ब्यूरो-पैथोलॉजी' से मुक्त कर रहा है और कुशल बन रहा है। और उत्तरदायी।
- प्रभावी सेवा वितरण: स्मार्ट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के बाद से उपर्युक्त संभव हो गया है:
- पारदर्शिता - वेब पर सूचना के प्रसार और प्रकाशन के माध्यम से जिसमें सेवा वितरण को कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए विस्तृत सार्वजनिक जांच शामिल है।
- आर्थिक विकास - स्मार्ट गवर्नेंस सेवाओं को सस्ता बनाकर लेनदेन लागत को कम करता है। एक उदाहरण देने के लिए - ग्रामीण क्षेत्रों को बाजारों, उत्पादों, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मौसम आदि के बारे में जानकारी की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है और जब यह सब उन्हें ऑनलाइन मिल जाएगा तो इससे स्पष्ट रूप से बेहतर और अधिक अवसर और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसे क्षेत्रों में।
- सामाजिक विकास - सूचना तक पहुंच नागरिकों को सशक्त बनाती है क्योंकि वे भाग ले सकते हैं और अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें कार्यक्रम/परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन,

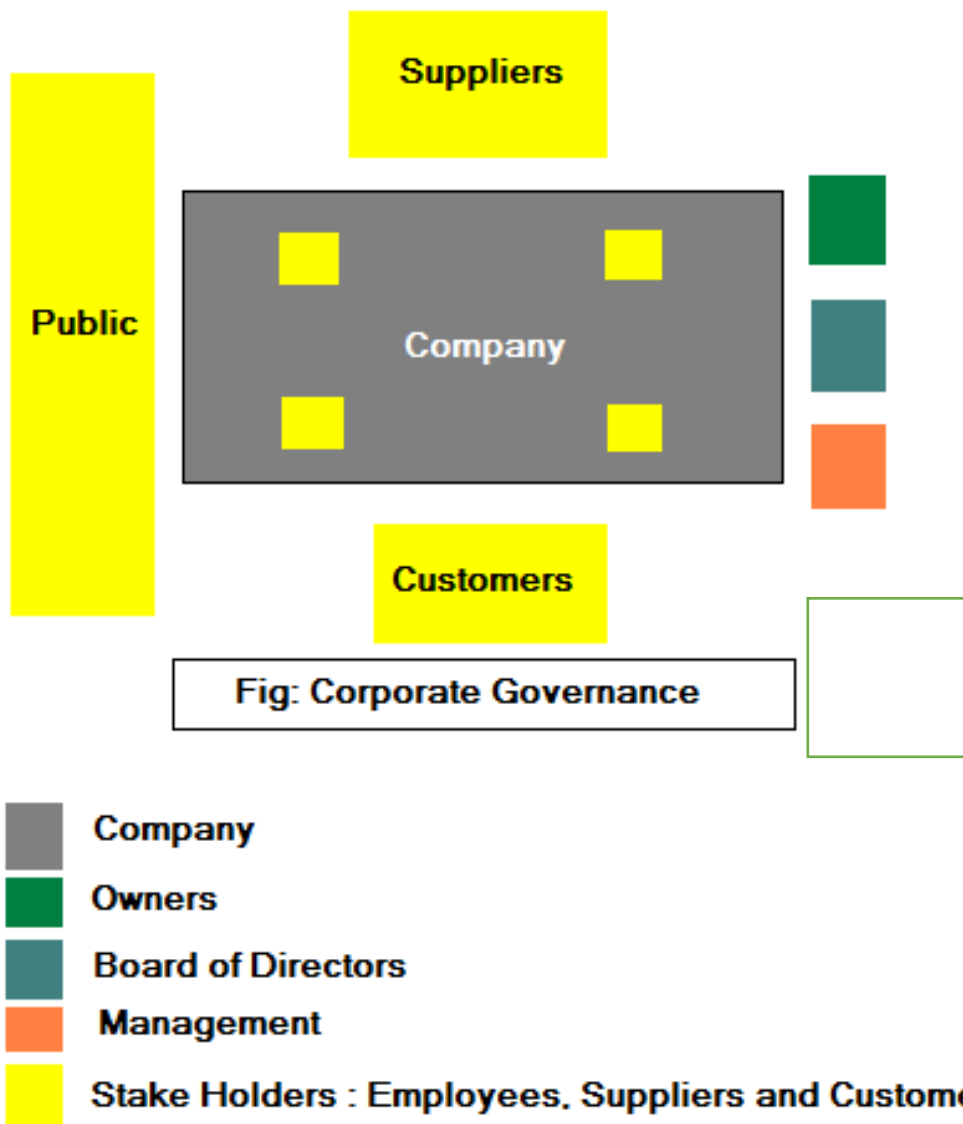
निगरानी और सेवा वितरण में समायोजित किया जा सकता है। साथ ही, वेब सक्षम भागीदारी हमारे सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले भेदभावपूर्ण कारकों का मुकाबला करेगी।

- रणनीतिक सूचना प्रणाली - आज संगठनात्मक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ने सार्वजनिक पदाधिकारियों को अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है और यह तभी हासिल किया जाता है जब नियमित और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी हर बिंदु पर प्रबंधन को उपलब्ध कराई जाती है। जो स्मार्ट गवर्नेंस के उपयोग के माध्यम से प्रभावी ढंग से किया जाता है।
- 21वीं सदी में सरकारों की प्राथमिकताएँ आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने, नागरिकों को डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने, ई-लोकतंत्र और ई-समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए बदल गई, जिससे इसके नागरिक "ज्ञान शताब्दी " का स्वागत करने के लिए तैयार हो सकें।
- स्मार्ट गवर्नेंस के पांच सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज के लिए प्रासंगिक हैं। यदि ई-गवर्नेंस सिस्टम को व्यवहार में इन स्मार्ट सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है तो वे अपने उपयोगकर्ताओं को कई लाभ प्रदान कर सकते हैं।

11

CORPORATE GOVERNMENT

कॉर्पोरेट शासन



1. कॉर्पोरेट प्रशासन एक अवधारणा है जो किसी कंपनी के उचित प्रबंधन और नियंत्रण के इर्द-गिर्द घूमती है।
2. इसमें मालिकों, निदेशक मंडल, प्रबंधन और कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जनता जैसे हितधारकों के बीच शक्ति संबंधों से संबंधित नियम शामिल हैं।
3. किसी भी संगठन के सतत विकास के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन आवश्यक है।
4. इस संबंध में, प्रबंधन को बड़े पैमाने पर शेयरधारकों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने और शेयरधारकों के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से मालिक-प्रबंधकों और बाकी शेयरधारकों के बीच लाभों की असमानता को रोकने की आवश्यकता है।
5. सामान्य तौर पर, कॉर्पोरेट प्रशासन शेयरधारकों को अधिकतम लाभ देने वाले निगम के निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक प्रशासन से मेल खाता है।

6. नैतिकता कॉर्पोरेट प्रशासन के मूल में हैं, और प्रबंधन को वैश्विक समुदाय स्तर पर अपने कार्यों के लिए जवाबदेही को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
7. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अपेक्षाकृत नया शब्द है जिसका उपयोग किसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसका अभ्यास तब से किया जा रहा है जब तक कॉर्पोरेट इकाइयां मौजूद हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेट संस्थाओं का व्यवसाय और प्रबंधन नैतिकता और प्रभावकारिता के उच्चतम प्रचलित मानकों के अनुसार इस धारणा पर किया जाए कि यह सभी कॉर्पोरेट हितधारकों के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की परिभाषा

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक बुनियादी परिभाषा, जिसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, सर एड्रियन कैडबरी की अध्यक्षता वाली समिति की एक रिपोर्ट में दी गई थी (कैडबरी रिपोर्ट): कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इस परिभाषा को इस विषय पर विभिन्न अन्य चर्चाओं में समर्थन दिया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट प्रशासन के वित्तीय पहलुओं पर समिति की 1998 की अंतिम रिपोर्ट भी शामिल है।

कॉर्पोरेट प्रशासन वह प्रणाली है जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। निदेशक मंडल अपनी कंपनियों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। शासन में शेयरधारकों की भूमिका निदेशकों और लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना और खुद को संतुष्ट करना है कि एक उपयुक्त शासन संरचना मौजूद है। निदेशकों की जिम्मेदारियों में कंपनी के रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें लागू करने के लिए नेतृत्व प्रदान करना, व्यवसाय के प्रबंधन की निगरानी करना और शेयरधारकों को उनके प्रबंधन के बारे में रिपोर्ट करना शामिल है। बोर्ड की कार्यवाही कानूनों, विनियमों और आम बैठक में शेयरधारकों के अधीन होती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए दिशानिर्देश

- कैडबरी समिति की रिपोर्ट-कॉर्पोरेट प्रशासन के वित्तीय पहलू (1992)।
- निदेशकों के पारिश्रमिक पर ग्रीनबरी समिति की रिपोर्ट (1995)।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर हम्पेल समिति की रिपोर्ट (1998)।
- संयुक्त संहिता, सुशासन के सिद्धांत और सर्वोत्तम अभ्यास संहिता, लंदन स्टॉक एक्सचेंज (1998)।
- CalPERS के जवाबदेह कॉर्पोरेट प्रशासन के वैश्विक सिद्धांत (1999)।
- ब्लू रिबन रिपोर्ट (1999)।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर किंग कमेटी (2002)।
- सर्वनेस ऑक्सले अधिनियम (2002)।
- हिग्स रिपोर्ट: गैर-कार्यकारी निदेशकों की भूमिका और प्रभावशीलता की समीक्षा (2003)।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संयुक्त संहिता (2003)।
- एसएसए कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल रिपोर्ट (2003)।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ओईसीडी सिद्धांत (2004)।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संयुक्त संहिता (2006)।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रकटीकरण में अच्छी प्रथाओं पर अंकटाड मार्गदर्शन (2006)।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संयुक्त संहिता (2008)।

भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन पहल

- भारत में, कॉर्पोरेट प्रशासन पहल कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा शुरू की गई है।
- कुमारमंगलम बिड़ला समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद, फरवरी 2000 में सेबी द्वारा विशेष रूप से कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पहला औपचारिक नियामक ढांचा स्थापित किया गया था। इसे लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया था।
- इसके अलावा, सेबी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 जैसे अन्य कानूनों के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन के मानकों को बनाए रख रहा है; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992; और डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न कॉर्पोरेट प्रशासन मुद्दों की जांच के लिए 2002 में कॉर्पोरेट ऑडिट और गवर्नेंस पर एक नरेश चंद्र समिति नियुक्त की थी। इसने कॉर्पोरेट प्रशासन के दो प्रमुख पहलुओं में सिफारिशें कीं: वित्तीय और गैर-वित्तीय खुलासे: एक स्वतंत्र ऑडिटिंग और प्रबंधन की बोर्ड निगरानी। यह कंपनी अधिनियम और इसके संशोधनों के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन की संरचना में पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारत की सेबी समिति कॉर्पोरेट गवर्नेंस को "निगम के सच्चे मालिकों के रूप में शेयरधारकों के अविभाज्य अधिकारों की प्रबंधन द्वारा स्वीकृति और शेयरधारकों की ओर से ट्रस्टी के रूप में उनकी अपनी भूमिका" के रूप में परिभाषित करती है। यह मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, नैतिक व्यावसायिक आचरण और किसी कंपनी के प्रबंधन में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट फंड के बीच अंतर करने के बारे में है।"
- यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय दृष्टिकोण ट्रस्टीशिप के गांधीवादी सिद्धांत और भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों से लिया गया है, लेकिन कॉर्पोरेट उद्देश्यों की यह अवधारणा एंग्लो-अमेरिकन और अधिकांश अन्य न्यायालयों में भी प्रचलित है।
- भारत में बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के साथ साझेदारी में नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस (एनएफसीजी) की स्थापना की है। (आईसीएसआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)।

कॉर्पोरेट प्रशासन को समझना

किसी देश के शासन की तरह निगम का शासन भी कोई आसान बात नहीं है। लगभग सभी आधुनिक निगम पारदर्शिता से काम करते हैं; शीर्ष पदों के लिए चुनाव होंगे। शेयरधारक निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। निदेशक मंडल दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए अधिकारियों (प्रबंधन) की नियुक्ति करता है। वे शेयरधारकों की ओर से कंपनी चलाएंगे।

नैतिकता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता प्रत्येक निगम का एक समझौता न करने वाला सिद्धांत होना चाहिए। एक सुशासन संरचना स्थापित करने का उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए अधिकतम रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही प्रणाली के भीतर उद्यमशीलता अभियान को बढ़ावा देना है।

हालाँकि यह बहस का विषय है कि संगठनों की संरचना, जटिलता और विविधता को देखते हुए, कॉर्पोरेट प्रशासन के संदर्भ में 'सर्वोत्तम अभ्यास' क्या है, इस पर आम सहमति बनाई जा सकती है।

हालाँकि, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम हर समय कॉर्पोरेट सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करें।

कॉर्पोरेट प्रशासन ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जैसे व्यवसाय को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संचालित करना, सभी लेनदेन के संबंध में पारदर्शी होना, सभी आवश्यक खुलासे और निर्णय लेना, देश के सभी कानूनों का अनुपालन करना, हितधारकों के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता। व्यवसाय को नैतिक तरीके से संचालित करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी की रिपोर्ट में जिस एक और बिंदु पर प्रकाश डाला गया है, वह यह है कि किसी कंपनी का प्रबंधन करते समय नियंत्रण में रहने वालों के लिए व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट फंडों के बीच अंतर करने में सक्षम होना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट प्रशासन का महत्व

जब भी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी होती है तो इस शब्द को उजागर किया जाता है। कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट प्रशासन संहिता नैतिक और जवाबदेह कॉर्पोरेट प्रशासन की मांग करती है। कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाएँ न केवल जनता या शेयरधारकों के लिए बल्कि कंपनी के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन को अपनाने से मूल्य, स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ में वृद्धि होगी।

आजकल, किसी कंपनी के लिए केवल लाभदायक होना ही पर्याप्त नहीं है; इसे पर्यावरण जागरूकता, नैतिक व्यवहार और ठोस कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के माध्यम से अच्छी कॉर्पोरेट नागरिकता प्रदर्शित करने की भी आवश्यकता है।

2002 में अमेरिका में सर्बनेस-ऑक्सले अधिनियम की शुरुआत के बाद कॉर्पोरेट प्रशासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया, जिसे लेखांकन धोखाधड़ी के बाद एनर्जॉन और वर्ल्डकॉम जैसी हाई-प्रोफाइल कंपनियों के दिवालिया होने के बाद कंपनियों और बाजारों में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए लागू किया गया था। कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व को सत्यम धोखाधड़ी के समय और उस समय भी उजागर किया गया था जब किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में चल रही थी।

12

E-GOVERNANCE

ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस में "ई" का अर्थ 'इलेक्ट्रॉनिक' है। इस प्रकार, ई-गवर्नेंस मूल रूप से आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के रूप में जानी जाने वाली चीज़ के उपयोग के माध्यम से कार्यों को पूरा करने और शासन के परिणाम प्राप्त करने से जुड़ा है। यह राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय स्तर के नागरिकों और व्यवसायों की सरकार और सरकारी एजेंसियों के बीच सरकार के भीतर सूचना और लेनदेन संबंधी आदान-प्रदान की दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का अनुप्रयोग है। यह सूचना तक पहुंच और उपयोग के माध्यम से नागरिकों को सशक्त भी बनाता है।

ई-गवर्नेंस का मतलब केवल तकनीकी उपकरण पेश करना या उनका उपयोग करना नहीं है। लेकिन यह नागरिकों को बेहतर सेवा देने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को एकीकृत करने के लिए मानसिकता और कार्य संस्कृति में बदलाव लाने का भी प्रयास करता है। एक नागरिक और एक सरकारी एजेंसी के बीच बातचीत आम तौर पर एक सरकारी कार्यालय में होती है। उभरती सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के साथ ग्राहकों के लिए बंद सेवा केंद्रों का पता लगाना संभव है। सभी मामलों में, जनता परंपरागत रूप से अपनी जरूरतों को पूरा करने वाली जानकारी और सेवाओं की तलाश करती है और दोनों ही मामलों में गुणवत्ता प्रासंगिकता और दक्षता सर्वोपरि महत्व रखती है।

ई-गवर्नेंस या 'इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस' मूल रूप से 'सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी' (स्मार्ट) शासन लाने के लिए सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उद्भव ने अपने उपयोगकर्ताओं, चाहे वे व्यक्ति, समूह, व्यावसायिक संगठन या सरकारें हों, को तेज और बेहतर संचार कुशल भंडारण पुनर्प्राप्ति और डेटा के प्रसंस्करण और सूचना के आदान-प्रदान और उपयोग के साधन प्रदान किए हैं। बढ़ते कम्प्यूटरीकरण और बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह प्रक्रिया वर्तमान में एक ऐसे चरण पर पहुंच गई है जहां अधिक से अधिक उपयोगकर्ता आईसीटी द्वारा प्रदान किए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए अपने काम करने के तरीकों को संशोधित करने के लिए प्रेरित होते हैं।

नागरिकों के बीच अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ने और इसके परिणामस्वरूप सरकार से कार्य करने और वितरित करने की अपेक्षाओं में वृद्धि के साथ शासन के पूरे प्रतिमान बदल गए हैं। आज सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यवहार में पारदर्शी हो, अपनी गतिविधियों के प्रति जवाबदेह हो और अपनी प्रतिक्रियाओं में तेज़ हो। इसने सुशासन प्राप्त करने की दिशा में तैयार किए गए किसी भी एजेंडे में आईसीटी के उपयोग को अनिवार्य बना दिया है।

ई-गवर्नेंस के उद्देश्य

सरकार के नेटवर्क बुनियादी ढांचे का उद्देश्य राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करना और प्रदान करना होना चाहिए:

- सार्वजनिक सरकारी जानकारी तक पहुँचने के नागरिकों के अधिकार का एहसास;
- सार्वजनिक प्राधिकरणों की गतिविधियों पर वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय जानकारी जनता को उपलब्ध कराना जो राज्य और उसकी राजनीति की विश्वसनीयता को मजबूत करती है;
- शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना।
- राज्य के नागरिकों और सार्वजनिक संस्थानों के साथ बातचीत और चल रही बातचीत के साथ-साथ राज्य निकायों और संगठनों की गतिविधियों पर सार्वजनिक नियंत्रण का आवश्यक स्तर;
- राष्ट्रीय सूचना स्थान को मजबूत करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के सूचना संसाधनों और सेवाओं का एकीकरण;
- सार्वजनिक प्रशासन में सुधार, राज्य तंत्र की संरचना का अनुकूलन, इसके रखरखाव के लिए वित्तीय और भौतिक लागत को कम करना, सरकारी सेवाओं का क्रमिक हस्तांतरण, जो सरकारी ऑनलाइन सेवाओं की एक प्रणाली में मूल्य रखते हैं जो नागरिकों और संगठनों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करते हैं;
- आर्थिक गतिविधियों में लगी सार्वजनिक संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों का प्रभावी ढंग से समर्थन करना, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में प्रभावी ढंग से एकीकृत होने की अनुमति मिल सके;
- अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत और सहयोग।
- ई-गवर्नेंस सरकारों, लोगों और व्यवसायों को आधुनिक दुनिया के अनुरूप रखकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से देश की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुधार करता है।
- इसका एक मुख्य उद्देश्य शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना है।
- सूचना और सेवाओं पर सरकारी खर्च कम करना।



ई-गवर्नेंस का संक्षिप्त इतिहास

- भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में रक्षा सेवाओं, आर्थिक योजना, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव, कर संग्रह आदि के लिए अनुप्रयोगों के कम्प्यूटरीकरण पर जोर देने के साथ शुरू हुई।

- हालाँकि, 90 के दशक की शुरुआत से ई-गवर्नेंस ने ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने और गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र से अधिक इनपुट लेने पर नीतिगत जोर देने के साथ व्यापक क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए आईटी का उपयोग करके एक व्यापक आयात ले लिया है।
- जबकि शुरू में जोर स्वचालन और कंप्यूटरीकरण पर था, बाद में सूचना प्रसंस्करण और सेवाएं प्रदान करने के लिए सिस्टम स्थापित करने के लिए कनेक्टिविटी नेटवर्किंग को शामिल करना शुरू हुआ।
- मई 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का कार्यान्वयन आम सेवा वितरण आउटलेट के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को उनके इलाके में आम आदमी के लिए सुलभ बनाने की दृष्टि से किया गया था ताकि किफायती दरों पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। लागत.
- प्रारंभिक कदम उठाए गए
 - 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई-गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था क्योंकि इसने 'सूचना' और इसके संचार पर ध्यान केंद्रित किया।
 - 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया।
 - ई-गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर 1987 में राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क - NICNET के लॉन्च द्वारा प्रदान किया गया था।

भारत में ई-गवर्नेंस के चरण

- ई-गवर्नेंस का उदय वेब के सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक रहा है। जैसा कि इंटरनेट ने डिजिटल समुदायों का समर्थन किया है और यह मानते हुए कि वे वास्तव में देश (और दुनिया भर) के व्यक्तियों को शामिल करने के लिए विकसित होते हैं। वे राष्ट्रीय सरकारों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करते हैं।
- लोकतांत्रिक राज्यों में सरकारें मुख्य रूप से एक प्रतिनिधि तंत्र हैं जिसके तहत कुछ चुनिंदा लोग बहस करते हैं और देश के नागरिकों के लिए और उनकी ओर से कानून बनाते हैं। इसके कई पहलू हैं जो ई-गवर्नेंस के संदर्भ में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
- सरकारों द्वारा आईटी की बढ़ती तैनाती की दिशा में वैश्विक बदलाव नब्बे के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब के आगमन के साथ उभरा। तब से प्रौद्योगिकी के साथ-साथ ई-गवर्नेंस पहल ने एक लंबा सफर तय किया है। इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन में वृद्धि के साथ नागरिक व्यापक तरीकों से अपनी पहुंच के नए तरीकों का फायदा उठाना सीख रहे हैं।
- उन्होंने अपने नागरिक पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों और कॉर्पोरेट संगठनों से ऑनलाइन अधिक से अधिक जानकारी और सेवाओं की अपेक्षा करना शुरू कर दिया है, जिससे इस बात के प्रचुर सबूत मिल रहे हैं कि नई "ई-नागरिकता" जोर पकड़ रही है।
- सरकार में आईसीटी सेवाओं के प्रभावी उपयोग ने मौजूदा दक्षताओं में काफी वृद्धि की है, जिससे संचार लागत में कमी आई है और विभिन्न विभागों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है।

- इसने नागरिकों को वास्तविक लाभों तक आसान पहुंच प्रदान की है, चाहे वह ऑनलाइन फॉर्म भरने, बिल सोर्सिंग और भुगतान जैसे सरल अनुप्रयोगों या दूरस्थ शिक्षा और टेली-मेडिसिन जैसे जटिल अनुप्रयोगों के माध्यम से हो।

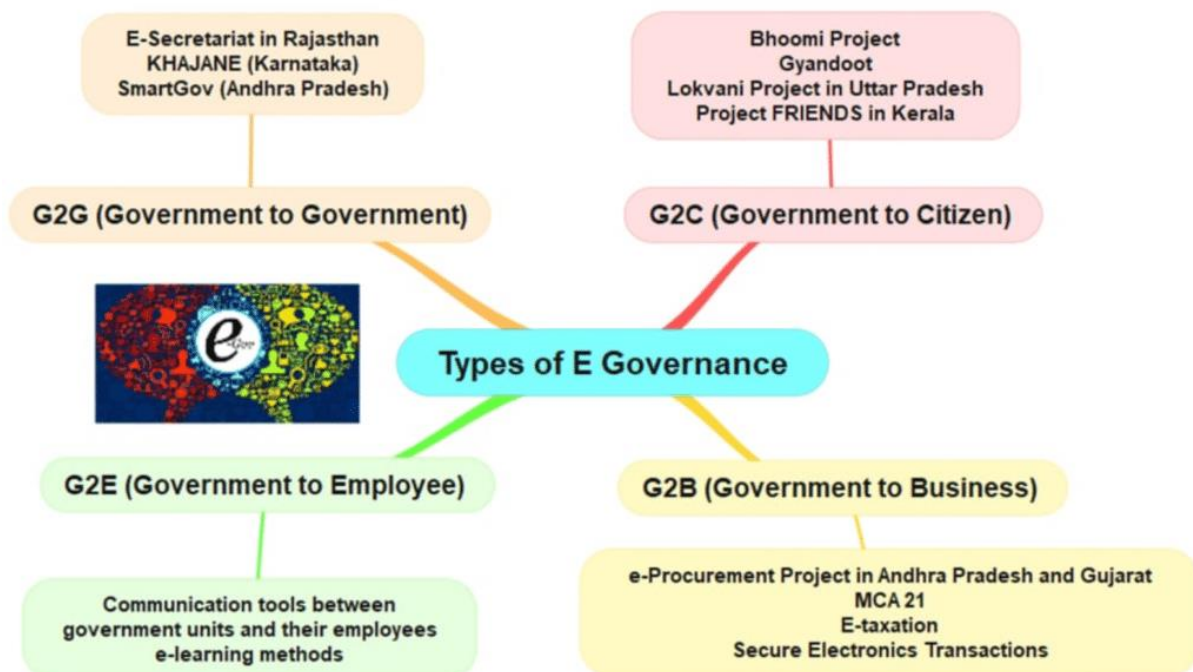
ई-गवर्नेंस के स्तंभ

- लोग
- प्रक्रिया
- तकनीकी
- संसाधन

ई-गवर्नेंस: इंटरैक्शन और अनुप्रयोग

इन पहलों पर निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत चर्चा की गई है:

1. सरकार से नागरिक (जी2सी) पहल
2. सरकार से व्यवसाय (जी2बी) पहल
3. सरकार से सरकार (जी2जी) पहल
4. सरकार से कर्मचारी (जी2ई) पहल



सरकार से नागरिक (जी2सी) पहल

भारत में पहली बार कंप्यूटर के आगमन के बाद से ई-गवर्नेंस परिदृश्य ने एक लंबा सफर तय किया है। अब ध्यान बड़े पैमाने पर लोगों पर बड़ा प्रभाव डालने के लिए शासन की पहुंच बढ़ाने पर है। इस श्रेणी में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बड़ी संख्या में पहल की गई हैं। इनमें से कुछ का वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफ में किया गया है।

- भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण:
 - इसने सुनिश्चित किया कि भूस्वामियों को स्वामित्व वाली फसल और किरायेदारी की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां मिलें और पारदर्शिता और शीघ्र विवाद समाधान हो।
- भूमि परियोजना कर्नाटक:

- यह कर्नाटक राज्य में 6.7 मिलियन किसानों को 20 मिलियन ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड की कम्प्यूटरीकृत डिलीवरी के लिए एक आत्मनिर्भर परियोजना है। चूंकि पारंपरिक प्रणाली में भूमि रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के लिए खुले नहीं थे, इसके परिणामस्वरूप हेरफेर और पक्षपात हुआ।
- **ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश):**
 - इसे ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने और जिला प्रशासन और लोगों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के दोहरे उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस परियोजना के पीछे मूल विचार एक तकनीकी रूप से नवीन पहल को स्थापित करना और बढ़ावा देना था जिसका स्वामित्व और संचालन समुदाय द्वारा ही किया जाता है। ज्ञानदूत नेटवर्क के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में दैनिक कृषि वस्तु दरें (मंडी भाव), आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक शिकायत निवारण आदि शामिल हैं।
- **उत्तर प्रदेश में लोकवाणी परियोजना:**
 - लोकवाणी एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी है जिसका उद्देश्य शिकायतों के प्रबंधन, भूमि रिकॉर्ड रखरखाव और आवश्यक सेवाओं का मिश्रण प्रदान करने के संबंध में एकल खिड़की स्व-स्थायी ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान करना है।
- **केरल में परियोजना मित्र:**
 - फ्रेंड्स (सेवाओं के वितरण के लिए तेज़, विश्वसनीय, तत्काल, कुशल नेटवर्क) एक एकल खिड़की सुविधा है जो नागरिकों को राज्य सरकार को करें और अन्य वित्तीय बकाया का भुगतान करने का साधन प्रदान करती है।
- **राजस्थान में ई-मित्र परियोजना:**
 - यह पहल 2002 में शुरू की गई लोक मित्र और जन मित्र पायलट परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। जबकि लोक मित्र जयपुर शहर में केंद्रित था। शहरी और ग्रामीण आबादी को एक ही छत के नीचे सूचना और सेवाएँ प्रदान करने के लिए झालावाड़ जिले में जन मित्र का संचालन किया गया। ई-मित्र दो परियोजनाओं का एकीकरण है।
- **कम्प्यूटरीकृत ऊर्जा (आरएसीई) बिलिंग परियोजना, बिहार के माध्यम से राजस्व प्रशासन:**
 - पटना इलेक्ट्रिक सप्लाय अंडरटेकिंग (PESU) जो बिहार राज्य बिजली बोर्ड (BSEB) के सात क्षेत्र बोर्डों में से एक है, पटना शहरी क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। संपूर्ण बिलिंग और भुगतान प्रक्रिया मैनुअल थी और सिस्टम में विसंगतियों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी और बोर्ड को राजस्व की हानि हो रही थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए बीएसईबी द्वारा ग्राहकों को मूल्य वर्धित और उपभोक्ता-अनुकूल सेवा प्रदान करने में आईसीटी की सहायता लेने का निर्णय लिया गया।
- **व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश - सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी):**
 - व्यावसायिक शिक्षा की मांग और आपूर्ति में तेजी से वृद्धि के साथ 1990 के दशक की शुरुआत में इन संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बन गई। प्रवेश की प्रक्रिया

को पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए आईसीटी का सहारा लिया गया। प्रवेश प्रक्रिया में आईसीटी के उपयोग से प्रवेश प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ बनाने में मदद मिली है। परिणामस्वरूप, अधिकांश संस्थान अब समान आईसीटी आधारित प्रवेश प्रक्रिया पर स्विच कर चुके हैं।

सरकार से व्यवसाय (जी2बी) पहल

G2B पहल में सरकार की वे सभी गतिविधियाँ शामिल हैं जो व्यावसायिक संगठनों पर प्रभाव डालती हैं। इनमें विभिन्न कानूनों के तहत पंजीकरण शामिल हैं। विभिन्न कानूनों के तहत लाइसेंस और सरकार और व्यवसाय के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान। इन गतिविधियों को ई-गवर्नेंस के तहत लाने का उद्देश्य व्यवसाय के लिए अनुकूल कानूनी वातावरण प्रदान करना, विभिन्न प्रक्रियाओं में तेजी लाना और व्यवसाय को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है।

• आंध्र प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना:

- आंध्र प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की शुरुआत से पहले सरकारी विभागों में खरीद मैनुअल टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाती थी। मैनुअल टेंडर प्रणाली भेदभाव, कार्टेल गठन, देरी, पारदर्शिता की कमी आदि सहित विभिन्न कमियों से ग्रस्त थी। यह विक्रेताओं और सरकार दोनों के लिए व्यवसाय करने के समय और लागत को कम करती है।

• एमसीए 21:

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एमसीए 21 मिशन मोड परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट और अन्य हितधारकों को किसी भी समय और उनके लिए सबसे उपयुक्त तरीके से प्रदान की जाने वाली सभी रजिस्ट्री संबंधी सेवाओं तक आसान और सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना है।

सरकार से सरकार (जी2जी) पहल

सरकारी तंत्र के भीतर सूचना का बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और निर्णय लेना होता है। G2G पहल आंतरिक सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने में मदद करती है। कई बार G2C और G2B प्रक्रियाओं के लिए G2G प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता होती है।

• कर्नाटक में खजाने परियोजना:

- यह कर्नाटक सरकार की एक व्यापक ऑनलाइन ट्रेजरी कंप्यूटरीकरण परियोजना है, जो राज्य के बजट के अनुमोदन से लेकर सरकार को खाते प्रस्तुत करने तक की हर गतिविधि पर नज़र रखती है। इस परियोजना का उद्देश्य कोषागार में मैनुअल प्रणाली की समस्या से निजात दिलाना है।

• स्मार्ट सरकार (आंध्र प्रदेश):

- स्मार्ट गॉव को आंध्र प्रदेश सरकार में कार्यान्वयन के लिए वर्कफ़्लो स्वचालन और ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से दक्षता बढ़ाने के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। समाधान सभी स्तरों की सरकारी संस्थाओं के कामकाज को स्वचालित

करता है और "हार्ड कॉपी वातावरण" को "डिजिटल वातावरण" में बदलने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र प्रदान करता है।

G2E (सरकार से कर्मचारी)

यह पहल संगठन और कर्मचारी के बीच दोतरफा संवादात्मक प्रक्रिया है। ई-गवर्नेंस कर्मचारियों की संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के अलावा इन इंटरैक्शन को तेज़ और कुशल बनाने में मदद करता है। इसमें कर्मियों के प्रशिक्षण और कर्मचारियों के विकास और कैरियर सलाह के लिए प्रदर्शन प्रबंधन नीति के समय-समय पर आने वाले विविध कार्य असाइनमेंट के बारे में जानकारी देना और लेना शामिल है। G2E मॉडल संचार और सीखने को सक्षम करने के लिए सरकारी संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को सूचना और सेवाएँ प्रदान करने का एक मिश्रण है।

• ई-पोस्टल मतपत्र:

- सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसके माध्यम से मतदाताओं का एक निश्चित वर्ग इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकता है। डाक मतपत्रों का लाभ सशस्त्र बलों और पूरक बलों के सदस्यों और दूरदराज/दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कुछ सरकारी कर्मचारियों और विदेश में तैनात लोगों तक बढ़ाया गया है। इन सभी को निर्वाचन अधिकारियों के पास पंजीकृत मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसे बाद में विशेष मतदाताओं और निवारक हिरासत में रखे गए लोगों तक बढ़ाया जा सकता है।

एनईजीपी 2.0 या ई-क्रांति

भारत में सार्वजनिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को बड़ा बढ़ावा मिला है क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) 2.0 शुरू की है, जिसे ई-क्रांति भी कहा जाता है। एनईजीपी 2.0 सरकार की व्यापक डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य पूरे देश में ई-गवर्नेंस पहल को बढ़ाना और बढ़ावा देना है।

इसे 2015 में "ट्रांसफॉर्मिंग ई-गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस" की दृष्टि से मंजूरी दी गई थी। ई-क्रांति के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाएँ हैं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

यह सभी स्तरों के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में सभी सरकार-से-नागरिक लेनदेन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने में मदद करेगा। एनईजीपी के अनुभव और पूर्व विश्लेषण के आधार पर, ई-क्रांति कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन को निर्देशित करने के लिए सिद्धांत तैयार किए गए हैं।

उद्देश्य

- परिवर्तनकारी और परिणामोन्मुखी ई-गवर्नेंस पहल के साथ एनईजीपी को फिर से परिभाषित करना।
- नागरिक केंद्रित सेवाओं के पोर्टफोलियो को बढ़ाना।
- मुख्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों की तीव्र प्रतिकृति और एकीकरण को बढ़ावा देना।
- उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।
- अधिक चुरत कार्यान्वयन मॉडल का उपयोग करना।

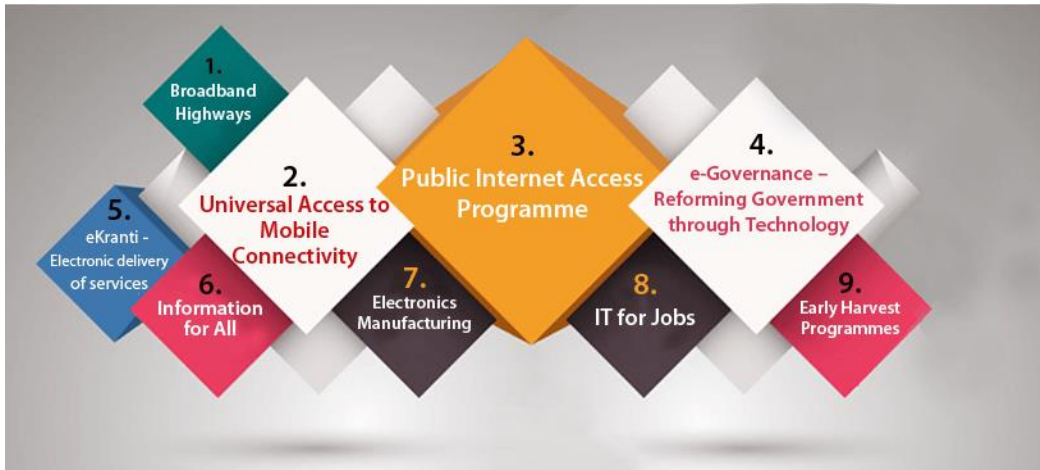
प्रमुख सिद्धांत

- परिवर्तन और अनुवाद नहीं:

- ई-क्रांति में सभी परियोजना प्रस्तावों में सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा और वितरण के तरीके में पर्याप्त परिवर्तन और उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल होनी चाहिए।
- **एकीकृत सेवाएँ न कि व्यक्तिगत सेवाएँ:**
 - नागरिकों को एकीकृत सेवा वितरण की सुविधा के लिए एक सामान्य मिडल वेयर और बैक एंड प्रक्रियाओं और प्रसंस्करण प्रणालियों के एकीकरण की आवश्यकता है।
- **सरकारी प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग (जीपीआर):**
 - सभी नए एमएमपी (मिशन मोड परियोजनाओं) में जीपीआर को आवश्यक पहला कदम के रूप में अनिवार्य करना, जिसके बिना किसी परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।
- **मांग पर आईसीटी अवसंरचना:**
 - सरकारी विभागों को मांग पर कनेक्टिविटी, क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसे आईसीटी बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस संबंध में, राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (शून्य), जो परियोजना निर्माण के उन्नत चरण में है, को डीईआईटी (सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा तेजी से ट्रैक किया जाएगा।
- **डिफॉल्ट रूप से बादल:**
 - अनुप्रयोगों को डिज़ाइन और होस्ट करते समय क्लाउड प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान की जाने वाली लचीलापन, चपलता और लागत प्रभावशीलता का पूरी तरह से लाभ उठाया जाएगा। सरकारी विभागों के लिए सरकारी क्लाउड डिफॉल्ट क्लाउड होगा।
- **मोबाइल प्रथम:**
 - सभी एप्लिकेशन मोबाइल के माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन/पुनः डिज़ाइन किए गए हैं।
- **फास्ट ट्रैकिंग स्वीकृतियाँ:**
 - एमएमपी के लिए फास्ट-ट्रैक अनुमोदन तंत्र स्थापित करने के लिए, एक बार जब किसी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो बाद के सभी निर्णय लेने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ सशक्त समितियों का गठन किया जा सकता है।
- **अनिवार्य मानक और प्रोटोकॉल:**
 - सभी ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में डीईआईटीवाई द्वारा अधिसूचित ई-गवर्नेंस मानकों और प्रोटोकॉल का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **भाषा स्थानीयकरण:**
 - यह आवश्यक है कि ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में सभी जानकारी और सेवाएँ भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हों।
- **राष्ट्रीय जीआईएस (भू-स्थानिक सूचना प्रणाली):**
 - एनजीआईएस को ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में एक मंच और एक सेवा के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- **सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक डेटा संरक्षण:**

- सभी ऑनलाइन एप्लिकेशन और ई-सेवाएं साइबर सुरक्षा सहित निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करती हैं। DeitY द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का पालन किया जाना चाहिए।

ई-क्रांति का दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली पूरी तरह से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए अनुमोदित कार्यक्रम प्रबंधन संरचना का उपयोग ई-क्रांति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए और सभी हितधारकों के विचारों को जानने के लिए एक मंच प्रदान करने, कार्यान्वयन की निगरानी करने, अंतर-मंत्रालयी मुद्दों को हल करने और परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।



कार्यान्वयन

- शून्य 2.0:
- राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना 2.0 वर्तमान में उपलब्ध और प्रस्तावित नेटवर्क अवसंरचना, जैसे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, राज्य वाइड एरिया नेटवर्क और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को समेकित और एकीकृत करेगा।
- पेगोंव इंडिया:
 - यह नागरिकों के लिए किसी भी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए एक ऑनलाइन राष्ट्रीय भुगतान गेटवे है।
- मेघराज:
 - भारत सरकार का क्लाउड केंद्रीय और राज्य स्तर पर विभागों और एजेंसियों को ई-सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।
- ईगोंव ऐप स्टोर:
 - इसका उपयोग करके, बड़ी संख्या में सफल और समय-परीक्षणित अनुप्रयोगों को विभागों और एजेंसियों द्वारा तत्काल अपनाने के लिए होस्ट किया जा सकता है।
- मोबाइल सेवा:
 - मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य देश में मोबाइल प्रशासन को मुख्यधारा में लाना है। मोबाइल सेवा सेवा वितरण के लिए सभी संभावित मोबाइल-आधारित चैनल प्रदान करती है, जिसमें एसएमएस, असंरचित पूरक सेवा डेटा, इंटरैक्टिव वॉयस प्रतिक्रिया प्रणाली और मोबाइल

एप्लिकेशन शामिल हैं। अब इसका लक्ष्य स्थान-आधारित और सेल-आधारित सेवाएं प्रदान करना है।

- **ई-प्रमाण:**

- यह उन उपयोगकर्ताओं के ई-प्रमाणीकरण के लिए एक रूपरेखा है जो वेब या मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचते हैं। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए आधार प्रमाणीकरण तंत्र को पूरी तरह से शामिल और उपयोग करता है।

- **ई-गवर्नेंस मानक:**

- खुले मानक नवीन समाधान प्रदान करते हैं जो सरकारी विभागों के सामने आने वाली एक विशेष चुनौती, आईसीटी के अधिग्रहण और तैनाती से जुड़ी उच्च लाइसेंसिंग लागत को ठीक कर सकते हैं।

- **भाषा स्थानीयकरण:**

- सभी ई-क्रांति शासन अनुप्रयोगों को उनकी पहुंच में सुधार के लिए संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा।
- ई-ताल 2.0: यह ई-ताल का एक उन्नत संस्करण होगा और इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, एक ई-सेवा निर्देशिका, एक स्थानीय भाषा इंटरफ़ेस, विभिन्न सेवाओं के लिए एक भारत औसत प्रणाली, सेवा वितरण के लिए एक भौगोलिक अभिविन्यास जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल होंगी। अंक, और ई-लेनदेन के संदर्भ में राज्यों और ई-सेवाओं का तुलनात्मक विश्लेषण।

- **सामाजिक मीडिया:**

- सोशल मीडिया की ताकत को पहचानते हुए सरकार ने सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा इसके इस्तेमाल पर एक नीति अधिसूचित की है।

डिजिटल इंडिया पहल

- यह भारत को ज्ञान-आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है।
- यह बड़ी संख्या में विचारों और विचारों को एक साथ एक व्यापक दृष्टि में पिरोता है ताकि उनमें से प्रत्येक को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में देखा जा सके।
- इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा लॉन्च किया गया है।

दृष्टि क्षेत्र

- प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा
- मांग पर शासन और सेवाएँ
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

डिजिटल इंडिया पहल के तहत विभिन्न पहल

- MyGov: इसका उद्देश्य सुशासन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करना है।

यह नागरिकों के साथ-साथ विदेशों में भी लोगों को विभिन्न गतिविधियों यानी 'करें', 'चर्चा करें', 'पोल', 'बातचीत', 'ब्लॉग' आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- डिजिलॉकर: यह नागरिकों को अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने और सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने में सक्षम बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है जो सीधे उन तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच सकते हैं।

- ई-हॉस्पिटल-ऑनलाइन पंजीकरण फ्रेमवर्क (ओआरएफ): यह मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा प्रदान करने की एक पहल है। इस ढांचे में रोगी देखभाल, प्रयोगशाला सेवाएं और मेडिकल रिकॉर्ड प्रबंधन भी शामिल हैं।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी): यह किसी भी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति के आवेदन और वितरण के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है।
- दर्पण: यह एक ऑनलाइन उपकरण है जिसका उपयोग राज्य की महत्वपूर्ण और उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है।
 - यह राज्य सरकार के साथ-साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को चयनित योजनाओं/परियोजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) पर वास्तविक समय डेटा की प्रस्तुति की सुविधा प्रदान करता है।
- प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन): इसका उद्देश्य प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन की संस्कृति शुरू करना है।
 - यह प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय में उपस्थिति और आदान-प्रदान के साथ ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली भी है।
 - इसे 2015 में लॉन्च किया गया था।
- सामान्य सेवा केंद्र 2.0 (सीएससी 2.0): इसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विकसित करने और सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
 - सीएससी नागरिकों के दरवाजे पर विभिन्न सरकारी, निजी और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम कियोस्क हैं।
- मोबाइल सेवा: यह लोगों को मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करती है।
- जीवन प्रमाण: यह पेंशनभोगियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली है।
 - यह प्रणाली पेंशनभोगी को उसके पेंशन वितरण प्राधिकरण (पीडीए) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को प्रामाणिकता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र (एनसीओजी): इस परियोजना के तहत, विभागों के लिए साझाकरण, सहयोग, स्थान आधारित विश्लेषण और निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मंच विकसित किया गया है।
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी): यह देश भर में ई-गवर्नेंस पहलों का समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, उन्हें एक सामूहिक दृष्टि और एक साझा उद्देश्य में एकीकृत करती है।
 - इसमें 2006 में स्वीकृत 31 मिशन मोड परियोजनाएं शामिल हैं, लेकिन बाद में इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में एकीकृत कर दिया गया।

ई-गवर्नेंस के लाभ

ई-गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के रचनात्मक उपयोग द्वारा सुगम शासन में सुधार के बारे में है। ई-गवर्नेंस से अपेक्षित लाभ इस प्रकार हैं:

- नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक बेहतर पहुंच:
- आईसीटी शासन के विभिन्न पहलुओं पर समय पर और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगा। प्रारंभिक चरण में जानकारी शासन के सरल पहलुओं जैसे कि फॉर्म, कानून, नियम, प्रक्रिया आदि के संबंध में उपलब्ध कराई जाएगी, बाद में रिपोर्ट (प्रदर्शन रिपोर्ट सहित), सार्वजनिक डेटाबेस, निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि सहित विस्तृत जानकारी तक विस्तारित की जाएगी। अंतिम उद्देश्य ई-गवर्नेंस का उद्देश्य जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाकर नागरिकों तक पहुंचना है, अर्थात् नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना जिनकी जन्म से मृत्यु तक आवश्यकता होगी।
- सरकार में सरलता एवं कार्यकुशलता:
- विस्तृत व्यवसाय प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग के साथ शासन में आईसीटी के अनुप्रयोग से जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा, निरर्थक प्रक्रियाओं को खत्म किया जाएगा, संरचनाओं में सरलीकरण होगा और कानूनों और विनियमों में बदलाव आएगा। अंतिम परिणाम यह होगा कि सरकार के कामकाज का सरलीकरण होगा, निर्णय लेने की क्षमताओं में वृद्धि होगी और सरकार की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी - ये सभी एक अधिक जवाबदेह सरकारी मशीनरी के समग्र वातावरण में योगदान देंगे। इसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होगी।
- शासन की विस्तारित पहुंच:
 - संचार प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के दरवाजे तक लाने में मदद मिलेगी। टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, मोबाइल टेलीफोनी में तेजी से प्रगति, इंटरनेट का प्रसार और अन्य संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी संख्या में सेवाओं की डिलीवरी आसान हो जाएगी। सरकार की पहुंच में यह वृद्धि - स्थानिक और जनसांख्यिकीय दोनों - शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की बेहतर भागीदारी को भी सक्षम बनाएगी।
- पारदर्शिता:
 - पारदर्शिता को मोटे तौर पर सुशासन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हितधारकों के पास अपने जीवन की प्रगति के लिए निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी हो। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता नागरिकों का अपनी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाती है और साथ ही सरकार को अपने निर्णयों और संबंधित प्रभावों में नागरिकों के प्रति पारदर्शी होने की आवश्यकता की याद दिलाती है। वर्तमान शासन प्रक्रिया सभी लोगों से जानकारी छुपाने के कई तरीके छोड़ती है। ई-गवर्नेंस जानकारी को छुपाने की सभी संभावनाओं को समाप्त करके जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद करता है।
- भ्रष्टाचार में कमी:
 - ई-गवर्नेंस सूचना प्रदर्शन और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से भ्रष्टाचार के खतरे से निपटने में मदद कर सकता है। जानकारी तक त्वरित पहुंच, त्वरित और कुशल लेनदेन उन्हें नियमों और विनियमों को समझने में सक्षम बनाता है। इन प्रक्रियात्मक परिवर्तनों

ने नागरिकों को अधिकारियों से सवाल करने और स्पष्टीकरण मांगने की ताकत प्रदान की है। इस प्रकार ई-गवर्नेंस के उपयोग से उत्पन्न पारदर्शिता से भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है।

- **जवाबदेही:**

- एक बार जब शासन प्रक्रिया पारदर्शी हो जाती है तो सरकार स्वतः ही जवाबदेह बन जाती है। जवाबदेही लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही है। यह सरकार के कार्यों के प्रति जवाबदेही है। एक जवाबदेह सरकार एक जिम्मेदार सरकार होती है।

- **लागत में कमी:**

- ई-गवर्नेंस के विस्तार से स्टेशनरी प्रिंटर और पेज जैसे कागजी कार्यों से जुड़े सरकारी खर्च में काफी कमी आएगी। इसके अलावा, फोन और इंटरनेट के माध्यम से संचार सरकारी व्यय को कम करता है और सरकार के लिए मूल्यवान धन बचाता है।

- **पर्यावरण के अनुकूल:**

- शासन में सूचना और संचार के बढ़ते उपयोग से भौतिक यात्रा के कम उपयोग के अलावा कागजात के कम उपयोग की आवश्यकता होगी, जिससे जनता के लिए ऊर्जा और पेट्रोल/डीजल की लागत में बचत होगी। इससे पर्यावरण को काफी फायदा देखने को मिलेगा।

- **रफ़्तार:**

- प्रौद्योगिकी का उपयोग संचार को त्वरित बनाता है, इंटरनेट, फ़ोन। सेल फोन ने सामान्य संचार में लगने वाले समय को कम कर दिया है जिससे काफी समय की बचत होती है।

ई-गवर्नेंस की समस्याएँ

ई-गवर्नेंस में अंतर-संबंधित मुद्दों का एक पूरा दायरा है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।

तकनीकी मुद्दे

- **एकीकरण:**

- ई-गवर्नेंस को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों और प्रशासन के निचले स्तरों पर एकीकृत हो। डेटा का एकीकरण मुख्य समस्या है। चुनौती डेटा को वेब आधारित रूप में कैप्चर करना और सूचना को संसाधित करने और साझा करने के लिए सामान्य प्रारूप में स्थानांतरित करना है।

- **गोपनीयता:**

- नागरिक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रदान किए गए किसी भी लेनदेन या जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अन्यथा निजी क्षेत्र या प्रतिस्पर्धियों द्वारा जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है और उपयोगकर्ता प्रदान की गई सेवाओं तक पहुंचने में अनिच्छुक हो सकते हैं।

- **सुरक्षा:**

- ई-गवर्नेंस में लेनदेन सुरक्षा एक और बड़ी समस्या है। कर जुर्माना और बिल भुगतान सुरक्षित होना चाहिए और सिस्टम डिज़ाइन पूर्ण प्रमाण होना चाहिए।

- **प्रमाणीकरण:**

- सेवाओं का अनुरोध करने वाले नागरिकों के प्रमाणीकरण को सेवाओं तक पहुंचने या उनका उपयोग करने से पहले सत्यापित किया जाना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर प्रामाणिकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन यह महंगा है और इसके लिए बार-बार रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- विश्वसनीयता:
 - हालाँकि सुरक्षा उपाय काफी ऊंचे हैं, लेकिन वेबसाइटों की हैकिंग की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों के लिए व्यक्तिगत विवरण साझा करना कठिन हो गया है। साइबर स्पेस की सुरक्षा और डेटा के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंता अभी भी नागरिकों को आधार कार्ड जैसी सुविधाओं को पूरी तरह अपनाने से रोक रही है।
- ब्रेकडाउन के मामले में कोई जवाबदेही नहीं:
 - कई बार ग्राहकों को सेवा में देरी के लिए तकनीकी त्रुटियां जैसे सर्वर डाउन हो जाना, सर्वर धीमा होना, तकनीकी गड़बड़ी आदि को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इससे आम जनता के लिए कई समस्याएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए: रेलवे टिकटिंग केंद्र पर सर्वर खराब होना।

सामाजिक मुद्दे

- अभिगम्यता:
 - ई-गवर्नेंस सेवा किसी के लिए भी, कहीं से भी, किसी भी समय सुलभ होनी चाहिए। भले ही इंटरनेट की आबादी तेजी से बढ़ रही हो, फिर भी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो विभिन्न कारणों से ई-गवर्नेंस तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- प्रयोज्यता:
 - सभी उपयोगकर्ता आईसीटी लेनदेन या ई-गवर्नेंस के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। इसलिए, प्रदान की गई सेवा प्रयोग करने योग्य या उपयोगकर्ता के अनुकूल होनी चाहिए। सिस्टम को प्रयोग योग्य बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं को संचालन का मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है।
- स्वीकृति:
 - ई-गवर्नेंस के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों की आंतरिक और बाहरी संरचना के पुनर्गठन की आवश्यकता है। मुख्य उद्देश्य प्रणाली को कुशलतापूर्वक सुधारना और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करना है। ई-गवर्नेंस सरकार की सुविधा के बजाय नागरिक सुविधा के लिए है। एकीकरण प्रक्रिया में विभागीय और कार्यात्मक सीमाओं पर सत्ता संघर्ष अधिक प्रमुख हो जाता है।
- स्थानीय भाषाओं का प्रयोग:
 - उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए स्थानीय भाषाओं में जानकारी तक पहुंच की अनुमति होनी चाहिए। जानकारी को अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भाषा सॉफ्टवेयर या कुछ अन्य प्रौद्योगिकियां होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता:
 - भारत में ऐसे गाँवों का प्रतिशत बहुत अधिक है जहाँ

- ई-गवर्नेंस के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा नई तकनीकों और कंप्यूटर शिक्षा से अवगत नहीं है।
- **विशेष रूप से अशिक्षितों और बुजुर्गों के लिए उपयोगकर्ता-मित्रता:**
 - ई-गवर्नेंस में एक इंटरफ़ेस है जिससे बुजुर्ग और अशिक्षित व्यक्ति को कठिनाई होती है। चूंकि इन लोगों की मदद के लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए यह उनके लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है। सामान्य तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के पास अधिक कंप्यूटर शिक्षा नहीं होती है और उन्हें सहायता के लिए ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करना होगा। और ग्रामीण लोगों के मामले में यह बिचौलियों के लिए भी गुंजाइश देता है जो जानकारी को विकृत करते हैं।
- **विश्वास की कमी:**
 - इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से अपनाने और उपयोग करने के लिए ई-सरकार पर भरोसा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ई-गवर्नेंस में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग दुनिया भर में बढ़ता हुआ प्रसार और अपनाया जा रहा है। इन सकारात्मक परिणामों के बावजूद प्रौद्योगिकी में विश्वास की कमी के कारण ई-सरकार अभी तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई है। सबसे गोपनीय दस्तावेजों वाले गृह मंत्रालय की वेबसाइट हैक जैसी हालिया खबरें व्यक्तिगत विवरण प्रकट करने में विश्वास की कमी को लागू करती हैं।
- **व्यक्तिगत स्पर्श का अभाव:**
 - चूंकि बातचीत बिना किसी भौतिक बैठक के आभासी होती है, इसलिए व्यक्ति-व्यक्ति के बीच कोई बातचीत नहीं होती है, जिसे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया जाता है।

आर्थिक मुद्दे

- **लागत:**
 - उच्च लागत लाभ अनुपात के लिए प्रदान की गई सेवा के कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की लागत काफी कम होनी चाहिए।
- **रख-रखाव:**
 - आईटी लगातार विकसित हो रहा है और सॉफ्टवेयर को बार-बार अपडेट किया जाता है। इस प्रकार, उभरती जरूरतों को आसानी से पूरा करने के लिए सिस्टम को सुसंगत और रखरखाव योग्य होना चाहिए।
- **पुनः प्रयोज्य:**
 - ई-गवर्नेंस को राष्ट्रव्यापी योजना माना जाना चाहिए और कार्यान्वित मॉड्यूल अन्य प्रशासनों द्वारा पुनः प्रयोज्य होना चाहिए।
- **पोर्टेबिलिटी:**
 - पोर्टेबल अनुप्रयोगों के लिए प्राथमिक आवश्यकता अन्य प्रशासनों द्वारा संभावित पुनः उपयोग में सहायता के लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से घटकों की स्वतंत्रता है।

दूसरे मामले

कुछ चुनौतियाँ और उनसे जुड़ी आगे की राहें इस प्रकार हैं:

- **इच्छा:**

- दशकों तक शासन प्रक्रिया के एक विशेष तरीके का पालन करने से परिवर्तन के प्रति जड़ता और प्रतिरोध विकसित होता है। इसके अलावा, यदि ई-गवर्नेंस को कायम रखना है तो पुराने कौशल और आदतों को नए कौशल और नई प्रक्रियाओं से बदलने की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रणाली से ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ने के लिए सरकार के भीतर से ही दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए।
- उच्चतम स्तर पर राजनीतिक समर्थन:
 - ई-गवर्नेंस का विशाल दायरा प्रक्रिया पुनर्रचना के विशाल कार्य के साथ संयुक्त है जो विभिन्न स्तरों पर आवश्यक होगा और बुनियादी ढांचे और वित्तीय आवश्यकता के लिए आवश्यक रूप से उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ई-गवर्नेंस के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होगा।
- प्रोत्साहन प्रदान करना:
 - सरकारी संस्थाओं को प्रौद्योगिकी के यांत्रिक अनुप्रयोग से हटाकर ई-गवर्नेंस उपकरणों को अपनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। इन प्रोत्साहनों को बजटीय आवंटन में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रलेखित करने की आवश्यकता है ताकि अन्य राज्य भी इन पहलों को अपना सकें। ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को मिशन मोड में सबसे अच्छा कार्यान्वित किया जाता है।
- जागरूकता का विकास:
 - सरकार के भीतर क्षमताओं के निर्माण के अलावा बड़े पैमाने पर जनता के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। ई-गवर्नेंस की सफलता नागरिकों और सरकार के बीच इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन की संख्या बढ़ाने में निहित है, न कि केवल ई-गवर्नेंस के बुनियादी ढांचे के निर्माण में।
- परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध पर काबू पाना:
 - ई-गवर्नेंस को एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। हालाँकि, प्रत्येक संगठन में ऐसे लोग होते हैं जो इसके लाभों के बारे में आश्वस्त नहीं होंगे या जो इसे कुछ निश्चित हितों के लिए चुनौती के रूप में देखेंगे। ई-गवर्नेंस के संभावित लाभों का प्रदर्शन करके इस तरह के प्रतिरोध को दूर करने की आवश्यकता होगी; यह संगठन को आंतरिक रूप से कैसे मजबूत करता है, बाहरी तौर पर सद्भावना पैदा करता है और सबसे बढ़कर नागरिकों की संतुष्टि को बढ़ाता है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:
 - अत्याधुनिक स्तर से शुरू करके सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देना होगा ताकि घुसपैठ करने वाली प्रौद्योगिकी की किसी भी आशंका को दूर किया जा सके और ई-गवर्नेंस को एक प्राप्त करने योग्य और वांछनीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सके।
- बुनियादी ढांचे का निर्माण:
 - यह सुनिश्चित करने के लिए कि ई-गवर्नेंस का लाभ हर कोने तक पहुंचे, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक, पर्याप्त ई-बुनियादी ढांचे का निर्माण करके अधिक ई-सरकारी परियोजनाओं को लागू करना होगा। चीन जैसे देशों में जिस बड़े पैमाने पर ई-

गवर्नेस प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, उसकी तुलना में भारत में लागू किए जा रहे प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण अंतर है।

- **प्रशिक्षण:**
 - कोई भी बड़े पैमाने पर ई-गवर्नेस पहल तभी सफल हो सकती है जब राज्य और जिला स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण के लिए एक चालू और निरंतर कार्यक्रम हो। इसके अलावा, नीतिगत निर्णय लेने और रणनीति के मुद्दों को संभालने के लिए आईटी नीति स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। ऐसे अधिकारियों से बड़े ई-गवर्नेस कार्यक्रमों का नेतृत्व करने या राज्यों आदि में आईटी सचिव बनने की उम्मीद की जा सकती है। प्रशिक्षण में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय घटक शामिल होने चाहिए और ऐसे अधिकारियों को लगातार अंतराल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का अनुभव दिया जाना चाहिए।
- **व्यावसायिक प्रक्रिया रीडिज़ीनरिंग:**
 - यह पहचानना आवश्यक है कि ई-सरकार पुरानी प्रक्रियाओं को त्यागने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदलने के बारे में है। प्रौद्योगिकी ऐसे परिवर्तन के लिए महज एक उपकरण और उत्प्रेरक है। ई-गवर्नेस केवल कानून का मसौदा तैयार करने या आदेश जारी करने से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए अधिकारियों के सोचने और कार्य करने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। वे अपनी नौकरी को कैसे देखते हैं, वे व्यापार वाणिज्य और व्यवसाय वाले विभागों और आम नागरिकों के साथ जानकारी कैसे साझा करते हैं।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी अपने आप में सभी समस्याओं को हल करने के लिए रामबाण नहीं है और इसका अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन और संगठन के नेतृत्व के रूप में सक्षमकर्ता की आवश्यकता होती है। अंततः, एक ई-गवर्नेस पहल की सफलता इस बात में निहित है कि इसने व्यापक आईसीटी पहुंच के माध्यम से सरकारी कामकाज में लोगों की भागीदारी को कितनी कुशलता से बढ़ाया है और सरकार और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अपने नागरिकों के करीब लाया है, सरकारी कामकाज में जवाबदेही, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि सरकार कम लागत में बेहतर काम करता है। ये सुशासन और जीवंत लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्त हैं।

ई-गवर्नेस प्रक्रिया को 'ग्राहकों' - नागरिकों, निवासियों, व्यवसायों और इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने वाले अधिकारियों से निरंतर इनपुट और फीडबैक की आवश्यकता होती है। ई-गवर्नेस को कारगर बनाने के लिए ज़मीनी स्तर से उनकी आवाज़ें और विचार आवश्यक हैं। इसलिए ई-गवर्नेस को इस दृष्टिकोण को परिभाषित करने में भाग लेने वाले सभी हितधारकों - सरकारी और गैर-सरकारी - के साथ एक साझा दृष्टिकोण होना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. लघु उत्तरीय प्रकार
2. अभिकथन -कारण प्रश्न
3. आलोचनात्मक सोच-आधारित प्रश्न
4. बहुविकल्पीय प्रश्न
5. केस स्टडी आधारित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न: भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है?

उत्तर: भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करता है। यह नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर जोर देता है।

- **प्रश्न:** "भारतीय संविधान का जनक" किसे माना जाता है?

उत्तर: डॉ. बी.आर. अंबेडकर को संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अक्सर "भारतीय संविधान के जनक" के रूप में जाना जाता है।

- **प्रश्न:** भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं?

उत्तर: भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद शामिल हैं जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित हैं।

- **प्रश्न:** भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है?

उत्तर: भारतीय संविधान का भाग III, अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकारों से संबंधित है।

- **प्रश्न:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है?

उत्तर: अनुच्छेद 370 ने भारतीय संघ के भीतर जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता प्रदान की। हालाँकि, इसे अगस्त 2019 में रद्द कर दिया गया था।

- **प्रश्न:** भारतीय संसद के उच्च सदन का प्रमुख कौन होता है?

उत्तर: भारत के उपराष्ट्रपति संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं।

- **प्रश्न:** लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?

उत्तर: लोकसभा सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

- प्रश्न: भारतीय चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है?

उत्तर: भारतीय चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

- प्रश्न: भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?

उत्तर: भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।

- प्रश्न: भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन का क्या महत्व है?

उत्तर: 73वें और 74वें संशोधन ने जमीनी स्तर पर शासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए क्रमशः पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की अवधारणा पेश की।

- प्रश्न: संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है?

उत्तर: अनुच्छेद 324 देश में चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए भारत के चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।

- प्रश्न: आज की तारीख में भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री कौन हैं?

उत्तर: [सटीक उत्तर पाने के लिए कृपया वर्तमान तिथि प्रदान करें।]

- प्रश्न: विधायी प्रक्रिया में भारत के राष्ट्रपति की क्या भूमिका है?

उत्तर: भारत के राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने या अनुमति रोकने की शक्ति है, इस प्रकार वह विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है?

उत्तर: राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए और एक समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए।

- प्रश्न: राज्य सभा की संरचना क्या है?

उत्तर: राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।

- प्रश्न: किस मौलिक अधिकार की गारंटी नागरिकों को है, लेकिन गैर-नागरिकों को नहीं?

उत्तर: वोट देने का अधिकार (मताधिकार) भारत के नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार है, लेकिन गैर-नागरिकों को नहीं।

- प्रश्न: राज्य सभा के सदस्य की कार्यकाल अवधि क्या है?

उत्तर: राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है।

- प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है?

उत्तर: भारतीय संविधान का भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है।

- प्रश्न: भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है?

उत्तर: लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है।

- **प्रश्न:** भारत के अटॉर्नी जनरल की क्या भूमिका है?
उत्तर: भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- **प्रश्न:** भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है?
उत्तर: अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करके उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
- **प्रश्न:** भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर: भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है।
- **प्रश्न:** सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का क्या महत्व है?
उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सरकारी निकायों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
- **प्रश्न:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की संरचना क्या है? **उत्तर:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और कई सदस्य होते हैं, जिनमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कानून, चिकित्सा, समाजशास्त्र और मानवाधिकार के विशेषज्ञ शामिल हैं।
- **प्रश्न:** भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है?
उत्तर: अनुच्छेद 280 संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

अभिकथन-कारण प्रश्न

1. दावा: मंत्रिपरिषद के गठन में भारत के राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कारण: राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

उत्तर: असत्य

स्पष्टीकरण: राष्ट्रपति प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधान मंत्री की सलाह पर करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नहीं।

2. दावा: संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी मौलिक अधिकारों में सबसे मौलिक है।

कारण: यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों का रुख कर सकते हैं।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार देता है, जिससे यह स्वयं एक मौलिक अधिकार बन जाता है।

3. दावा: लोकसभा अध्यक्ष केवल बराबरी की स्थिति में ही अपना वोट डाल सकते हैं।

कारण: निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ही अध्यक्ष लोकसभा में अपने मत का प्रयोग करता है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: लोकसभा अध्यक्ष केवल बराबरी की स्थिति में ही अपना वोट दे सकते हैं और उनकी भूमिका चर्चा की अध्यक्षता करते समय निष्पक्षता बनाए रखने की है।

4. दावा : भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।

कारण: अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और वह वोट देने के अधिकार के बिना भी बोल सकते हैं और बहस में भाग ले सकते हैं।

5. दावा: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में न्यायसंगत हैं।

कारण: यदि सरकार निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहती है तो नागरिक सीधे अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

उत्तर: असत्य

स्पष्टीकरण: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सीधे अदालतों में लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, वे कानून और नीतियाँ बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं।

6. दावा: भारत के राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों।

कारण: जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश राष्ट्रपति की एक अस्थायी विधायी शक्ति है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हों और जब कानून की तत्काल आवश्यकता हो।

7. दावा: किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधान सभा को भंग करने की शक्ति है।

कारण: राज्यपाल के पास विधान सभा के विघटन सहित राज्य के मामलों पर कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: किसी राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है।

8. दावा : न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द कर सकती है।

कारण: न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि कानून संविधान के अनुरूप हैं।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका को उन कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें अमान्य करने का अधिकार देती है जो संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।

9. दावा: भारत का प्रधान मंत्री किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है।

कारण: आवश्यक समझे जाने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं।

उत्तर: असत्य

स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग करने की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास है।

10. दावा: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

कारण: एनसीडब्ल्यू को लिंग संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने का काम सौंपा गया है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) वास्तव में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

11. दावा: भारत की संसद देश में एक राज्य बना या समाप्त कर सकती है।

कारण : संसद के पास राज्यों को पुनर्गठित करने, सीमाओं में परिवर्तन करने या उनके नाम बदलने का अधिकार है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: भारत की संसद के पास उचित कानून पारित करके राज्यों को पुनर्गठित करने, सीमाओं में बदलाव करने या नए राज्य बनाने की शक्ति है।

12. दावा: भारत के राष्ट्रपति के खातों की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जिम्मेदार है।

कारण: CAG सरकारी खातों के ऑडिट से संबंधित मामलों में सर्वोच्च प्राधिकारी है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों दोनों के खातों का ऑडिट करता है।

13. दावा: भारतीय संविधान संघ और राज्य दोनों स्तरों पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है।

कारण: विधायिका के दोनों सदनों के बीच सत्ता का विभाजन नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: भारतीय संविधान संघ स्तर (संसद) और अधिकांश राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है, जिसमें दोनों सदनों के बीच सत्ता का विभाजन होता है।

14. दावा: भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में राज्यसभा को भंग कर सकते हैं।

कारण: राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने और सुलझाने का अधिकार है।

उत्तर: असत्य

स्पष्टीकरण: भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यसभा को भंग करने की शक्ति नहीं है। प्रत्येक सदन स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और राष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है।

15. दावा: भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है।

कारण: संसद के दोनों सदनों में भारत के केवल राज्यों का प्रतिनिधित्व है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, कुछ के पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी आवाज़ सुनी जाए।

16. दावा: लोकसभा अध्यक्ष केवल बराबरी की स्थिति में ही वोट दे सकते हैं।

कारण: अध्यक्ष का निर्णायक मत यह सुनिश्चित करता है कि विधायी प्रक्रिया गतिरोधों से बाधित न हो।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: लोकसभा अध्यक्ष केवल बराबरी की स्थिति में ही वोट दे सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यवाही आगे बढ़ सके।

17. दावा: किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

कारण: मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है और इसके कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वह राज्य विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है।

18. दावा: भारत के राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है।

कारण: महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: भारत के राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 61 में बताया गया है।

19. दावा: शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।

कारण: शिक्षा का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

उत्तर: सच है

स्पष्टीकरण: शिक्षा का अधिकार स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

20 दावा: किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य कानूनों के तहत अपराध के दोषी व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति है।

कारण: क्षमादान देने की राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से स्वतंत्र है।

उत्तर: असत्य

स्पष्टीकरण: किसी राज्य का राज्यपाल केवल उन मामलों में क्षमा, राहत, छूट या सजा में छूट दे सकता है जहां अपराध राज्य कानून के खिलाफ है, केंद्रीय कानून के खिलाफ नहीं। क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति केंद्रीय कानूनों के तहत अपराधों पर लागू होती है।

आलोचनात्मक सोच-आधारित प्रश्न

1. **प्रश्न:** क्या न्यायिक समीक्षा की शक्ति शक्तियों के पृथक्करण के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा है?

उत्तर: न्यायिक समीक्षा की शक्ति लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा उठाए गए कानूनों और कार्यों की संवैधानिकता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक जाँच है। यह सरकार की शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

2. **प्रश्न:** क्या निजता के अधिकार को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए?

उत्तर: हां, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होगी जहां गोपनीयता की चिंता सर्वोपरि है।

3. **प्रश्न:** क्या शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अवधारणा ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने में प्रभावी है?

उत्तर: यह बहस का विषय है। जबकि आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना है, इसकी प्रभावशीलता के पक्ष और विपक्ष में तर्क हैं। कुछ का मानना है कि यह सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, जबकि अन्य का तर्क है कि इससे भेदभाव कायम रह सकता है।

4. **प्रश्न:** क्या अध्यादेशों का उपयोग विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करता है और कानून बनाने में संसद की भूमिका को कमजोर करता है?

उत्तर: हां, बार-बार अध्यादेशों का उपयोग विधायी प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है और जवाबदेही को कम कर सकता है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेशों को अत्यावश्यक स्थितियों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।

5. **प्रश्न:** क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने निर्णयों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए भारत में दल-बदल विरोधी कानून का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है?

उत्तर: दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है, लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि यह असहमति को दबा सकता है और विधायकों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों दोनों को सुनिश्चित करने के लिए संतुलन बनाने की जरूरत है।

6. **प्रश्न:** क्या भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा दोनों के लिए एक साथ चुनाव लागू किये जाने चाहिए?

उत्तर: यह एक जटिल मुद्दा है। जबकि एक साथ चुनाव लागत बचा सकते हैं और बार-बार होने वाले व्यवधानों को कम कर सकते हैं, वे राज्य सरकारों की स्वायत्तता को भी कमजोर कर सकते हैं और राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच अंतर को धुंधला कर सकते हैं।

7. **प्रश्न:** क्या राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की मौजूदगी राजनीतिक व्यवस्था की अखंडता के लिए खतरा है?

उत्तर: हां, आपराधिक मामलों वाले राजनेताओं की उपस्थिति जनता के विश्वास और नैतिक मानकों को कमजोर कर सकती है। हालाँकि, उचित प्रक्रिया और निर्दोषता की धारणा पर विचार करना भी आवश्यक है।

8. **प्रश्न:** क्या भारतीय संघवाद की केंद्रीकृत प्रकृति राज्यों के विकास और स्थानीय स्वशासन में बाधा डालती है?

उत्तर: केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ केंद्रीय नियंत्रण आवश्यक हैं, राज्यों और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने से बेहतर अनुरूप नीतियां और अधिक कुशल शासन प्राप्त हो सकता है।

9. **प्रश्न:** क्या स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण महिलाओं को सशक्त बनाता है या केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है?

उत्तर: प्रभाव अलग-अलग होता है। जबकि आरक्षण ने महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आरक्षित सीटें निर्णय लेने के लिए प्रभावी मंच हों न कि केवल प्रतीकात्मक संकेत।

10. **प्रश्न:** क्या राजनीतिक दलों को मान्यता देने और राज्य से धन प्राप्त करने के लिए और अधिक कड़े मानदंड होने चाहिए?

उत्तर: मानदंडों को मजबूत करने से राजनीतिक चर्चा की गुणवत्ता बढ़ सकती है और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि, इसे समावेशिता सुनिश्चित करने और छोटे दलों के बहिष्कार को रोकने के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

11. **प्रश्न:** क्या राजनीतिक अभियानों में सोशल मीडिया के उपयोग से लोकतांत्रिक जुड़ाव बढ़ता है या गलत सूचना फैलती है?

उत्तर: सोशल मीडिया नागरिकों को सशक्त बना सकता है, लेकिन यह फर्जी खबरों के प्रसार जैसी चुनौतियां भी पेश करता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और जिम्मेदार उपयोग के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

12. **प्रश्न:** क्या न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह न्यायपालिका के हाथों में होनी चाहिए?

उत्तर: जबकि न्यायिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ प्रकार की पारदर्शी और जवाबदेह बाहरी निगरानी होने से शक्ति के किसी भी अनुचित संकेंद्रण को रोका जा सकता है।

13. **प्रश्न:** क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए कड़े राजद्रोह कानून आवश्यक हैं, या क्या वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का जोखिम उठाते हैं?

उत्तर: राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। सही संतुलन बनाने के लिए सटीक शब्दों और सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।

14. **प्रश्न:** क्या "एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रस्ताव चुनाव खर्चों को कम करके लोकतंत्र को मजबूत करता है या क्षेत्रीय विविधता और स्थानीय मुद्दों को कमजोर करता है?

उत्तर: प्रस्ताव के फायदे और नुकसान दोनों हैं। हालाँकि यह खर्चों को कम कर सकता है, लेकिन क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इसके प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है।

15. **प्रश्न:** क्या राजनीतिक सक्रियता और वकालत के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बढ़ता उपयोग लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक विकास है?

उत्तर: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक भागीदारी को लोकतांत्रिक बना दिया है, लेकिन वे ग़लत सूचनाओं और प्रतिध्वनि कक्षों के बारे में चिंताएँ भी बढ़ाते हैं। आलोचनात्मक सोच और मीडिया साक्षरता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

4. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. **प्रश्न:** भारत का सर्वोच्च कानून क्या है?

- ए) भारतीय दंड संहिता
- बी) भारतीय संविधान
- सी) भारतीय अनुबंध अधिनियम
- डी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम

उत्तर: बी) भारतीय संविधान

2. **प्रश्न:** भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है?

- ए) अनुच्छेद 14
- बी) अनुच्छेद 19
- सी) अनुच्छेद 21
- डी) अनुच्छेद 29

उत्तर: ए) अनुच्छेद 14

3. **प्रश्न:** भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल हैं:

- ए) संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य
- बी) केवल संसद सदस्य
- सी) केवल राज्य विधानमंडल के सदस्य
- D) केवल राज्य सभा के सदस्य

उत्तर: ए) संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य

4. **प्रश्न:** निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है?

- ए) शिक्षा का अधिकार
- बी) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- सी) संपत्ति का अधिकार
- D) शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर: सी) संपत्ति का अधिकार

5. **प्रश्न:** भारत में संसद को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति किसके पास है?

- ए) प्रधान मंत्री
- बी) राष्ट्रपति
- सी) लोकसभा अध्यक्ष
- डी) भारत के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: बी) राष्ट्रपति

6. **प्रश्न:** भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

- ए) प्रधान मंत्री
- बी) राष्ट्रपति
- सी) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- डी) संसद

उत्तर: बी) राष्ट्रपति

7. प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है?

- ए) भाग I
- बी) भाग III
- सी) भाग IV
- डी) भाग VII

उत्तर: सी) भाग IV

8. प्रश्न: भारतीय संसद है:

- ए) एक सदनीय विधायिका
- बी) द्विसदनीय विधायिका
- सी) त्रिसदनीय विधायिका
- डी) चतुष्कोणीय विधायिका

उत्तर: बी) द्विसदनीय विधायिका

9. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है?

- ए) चुनाव आयोग
- बी) योजना आयोग
- सी) वित्त आयोग
- डी) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

उत्तर: बी) योजना आयोग

10. प्रश्न: भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है?

- ए) प्रधान मंत्री
- बी) लोकसभा
- C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- डी) उपराष्ट्रपति

उत्तर: ए) प्रधान मंत्री

11. प्रश्न: यूनियन बनाने का अधिकार किसका भाग है?

- ए) समानता का अधिकार
- बी) स्वतंत्रता का अधिकार
- C) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- डी) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

उत्तर: बी) स्वतंत्रता का अधिकार

12. प्रश्न: भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?

- ए) 21 वर्ष

- बी) 25 वर्ष
- सी) 30 वर्ष
- डी) 35 वर्ष

उत्तर: डी) 35 वर्ष

13. प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है?

- ए) अनुच्छेद 356
- बी) धारा 370
- सी) अनुच्छेद 360
- डी) अनुच्छेद 365

उत्तर: सी) अनुच्छेद 360

14. प्रश्न: भारत में वोट देने का अधिकार उन नागरिकों को दिया गया है जो कम से कम हैं:

- ए) 16 वर्ष की आयु
- बी) 18 साल का
- सी) 21 वर्ष की
- डी) 25 वर्ष

उत्तर: बी) 18 वर्ष

15. प्रश्न: राज्य सभा का पदेन सभापति कौन होता है?

- ए) प्रधान मंत्री
- बी) राष्ट्रपति
- सी) उपाध्यक्ष
- डी) भारत के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: सी) उपराष्ट्रपति

16. प्रश्न: भारत में किसी राज्य की सरकार का मुखिया कौन होता है?

- ए) मुख्यमंत्री
- बी) प्रधान मंत्री
- सी) राष्ट्रपति
- डी) राज्यपाल

उत्तर: ए) मुख्यमंत्री

17. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है?

- ए) भारत सरकार अधिनियम, 1935
- बी) फ्रांसीसी संविधान
- सी) संविधान सभा की बहसों
- डी) ब्रिटिश संसदीय प्रथाएँ

उत्तर: बी) फ्रांसीसी संविधान

18. प्रश्न: भारत के योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया?

- ए) वित्त आयोग
- बी) नीति आयोग

- सी) भारतीय रिजर्व बैंक
- डी) चुनाव आयोग

उत्तर: बी) नीति आयोग

19. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत में कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है?

- ए) राष्ट्रपति
- बी) प्रधान मंत्री
- सी) सुप्रीम कोर्ट
- डी) मंत्रिपरिषद

उत्तर: सी) सुप्रीम कोर्ट

20. प्रश्न: "साइन क्वालिफिकेशन नॉन" शब्द का तात्पर्य है:

- ए) सरकार की एक प्रणाली
- बी) एक आवश्यक शर्त या आवश्यकता
- सी) एक प्रकार की न्यायिक समीक्षा
- डी) एक मौलिक अधिकार

उत्तर: बी) एक आवश्यक शर्त या आवश्यकता

केस स्टडी आधारित प्रश्न

केस स्टडी 1: मौलिक अधिकारों की भूमिका

परिदृश्य: नागरिकों का एक समूह सरकार के एक फैसले का विरोध कर रहा है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वे शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार मांग रहे हैं।

प्रश्न: इस परिदृश्य में नागरिकों द्वारा किस मौलिक अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है, और भारतीय संविधान इस अधिकार की रक्षा कैसे करता है?

उत्तर: इस परिदृश्य में नागरिक बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं (अनुच्छेद 19)। भारतीय संविधान इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में संरक्षित करता है, जिससे नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के माध्यम से असहमति व्यक्त करने की अनुमति मिलती है।

केस स्टडी 2: आरक्षण नीतियाँ

परिदृश्य: एक राज्य सरकार एक नई आरक्षण नीति का प्रस्ताव करती है जो शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एक विशेष समुदाय को अधिमान्य उपचार प्रदान करती है। इस नीति का लक्ष्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों का उत्थान करना है।

प्रश्न: भारतीय संविधान के प्रावधानों के आलोक में प्रस्तावित आरक्षण नीति की संवैधानिकता का मूल्यांकन करें।

उत्तर: प्रस्तावित आरक्षण नीति का मूल्यांकन संविधान के प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों

के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। हालाँकि, नीति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

केस स्टडी 3: संघवाद और राज्य स्वायत्तता

परिदृश्य: एक राज्य सरकार एक ऐसा कानून बनाना चाहती है जो उसी विषय पर केंद्रीय कानून के साथ टकराव में हो। केंद्र सरकार इसका विरोध करती है और राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 लागू करने की धमकी देती है।

प्रश्न: ऐसे परिदृश्य में संघवाद की अवधारणा और अनुच्छेद 356 के उपयोग पर चर्चा करें।

उत्तर: संघवाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इस परिदृश्य में, राज्य की स्वायत्तता खतरे में है, क्योंकि वह एक ऐसा कानून पारित करना चाहता है जो केंद्रीय कानून से भिन्न हो सकता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता है, लेकिन इसका उपयोग संयमित रूप से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए आवश्यक हो।

केस स्टडी 4: चुनावी सुधार

परिदृश्य: भारतीय चुनावों में धन और आपराधिक तत्वों के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ रही है। एक नागरिक समूह ने अभियान वित्त पर सख्त नियम लागू करने और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव रखा है।

प्रश्न: अभियान वित्त पर सख्त नियम लागू करने और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का भारतीय चुनाव प्रणाली पर प्रभाव का विश्लेषण करें।

उत्तर: कड़े अभियान वित्त नियमों को लागू करने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सकता है और चुनावों में धन के अनुचित प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बढ़ सकती है और स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि, निष्पक्ष और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार करना और कार्यान्वयन आवश्यक है।

केस स्टडी 5: प्रेस की स्वतंत्रता

परिदृश्य: एक समाचार आउटलेट सरकार के भीतर उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके बाद, सरकार समाचार आउटलेट को एक कानूनी नोटिस जारी करती है, जिसमें दावा किया जाता है कि रिपोर्ट उसकी छवि खराब करती है और इसे वापस लेने की मांग करती है।

प्रश्न: इस स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व और समाचार आउटलेट और सरकार दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर चर्चा करें।

उत्तर: प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है, जो मीडिया को सरकार को जवाबदेह ठहराने की अनुमति देती है। सटीक और संतुलित जानकारी प्रदान करना समाचार आउटलेट की जिम्मेदारी है। सरकार की भूमिका नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करने पर केंद्रित होनी चाहिए, साथ ही गलत जानकारी प्रकाशित होने पर कानूनी निवारण पाने का अधिकार भी होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदार रिपोर्टिंग के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।